



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर
निविदा आमंत्रण सूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर, अपने कार्यालय परिसर में **120kVA और 40kVA यूपीएस के लिए अग्निरोधी (FR) सीलबंद रखरखाव मुक्त (SMF) वाल्व विनियमित लेड-एसिड (VRLA) बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC)** हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/eproc/index.jsp> के माध्यम से की जाएगी।

यह निविदा सूचीबद्ध विक्रेताओं और अन्य पात्र विद्युत ठेकेदारों/एजेंसियों/फर्मों के लिए खुली है। निविदा में भाग लेने के इच्छुक सभी पक्षों को निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा।

निविदा अनुसूची		
i.	ई-निविदा संख्या	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/1/26-27/ET/65
ii.	निविदा का तरीका	एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा https://www.mstcecommerce.com/eproc/index.jsp भाग I - पूर्व-योग्यता मानदंड और तकनीकी-व्यावसायिक बोली भाग II - मूल्य/वित्तीय बोली
iii.	निविदा मूल्य (कार्य की अनुमानित लागत)	₹22,73,000.00 (जीएसटी सहित)
iv.	एमएसटीसी वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की तिथि	8 मई, 2026 (दोपहर 3:00 बजे से)
v.	इच्छुक निविदाकर्ताओं के साथ पूर्व-बोली बैठक की तिथि और समय (प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए)	1 जून, 2026 को सुबह 11:00 बजे ऑफ़लाइन स्थान: संपदा विभाग, आरबीआई कानपुर
vi.	बोली बैठक के कार्यवृत्त, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट आदि का प्रकाशन (यदि कोई हो)	2 जून, 2026
vii.	ई-निविदा के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	3 जून, 2026 (दोपहर 3:00 बजे से)

viii.	बयाना राशि (EMD)	<p>प्रत्येक बोलीदाता से ₹45,460/- (पैंतालीस हजार चार सौ साठ रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है।</p> <p>लाभार्थी: आरबीआई कानपुर खाता: 186003001 IFSC: RBIS0KNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)</p> <p>ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए और estatekanpur@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए।</p> <p>(नोट: ऊपर उल्लिखित भुगतान विधियों के अलावा किसी अन्य खाते में जमा की गई या किसी अन्य भुगतान विधि से की गई ईएमडी को वास्तविक ईएमडी नहीं माना जाएगा।)</p>
ix.	निविदा शुल्क	शून्य
x.	बयाना राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 (दोपहर 2:00 बजे तक)
xi.	ई-निविदा के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 (दोपहर 2:00 बजे तक)
xii.	निविदा भाग I खोलने की तिथि एवं समय	<p>15 जून, 2026 दोपहर 3:00 बजे</p> <p>भाग II (मूल्य बोली) बाद में खोली जाएगी, जिसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।</p>
xiii.	लेनदेन शुल्क (विक्रेता द्वारा एमएसटीसी को भुगतान किया जाना है)	<p>कृपया ध्यान दें कि विक्रेताओं को लेनदेन शुल्क के भुगतान के बाद ही ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच प्राप्त होगी।</p> <p>लेनदेन शुल्क का भुगतान (एमएसटीसी पोर्टल पर उल्लिखित अनुसार) एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना है।</p>

महत्वपूर्ण सूचना:

- आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा, और ऐसा करने में विफल रहने पर बैंक को उनके आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। **बयाना जमा राशि के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।**
- प्रत्येक निविदाकर्ता से अधिकतम 2 प्रतिभागी (निविदाकर्ता के कर्मचारी) निर्धारित तिथि और समय पर पूर्व-बोली बैठक में भाग ले सकते हैं। प्रवेश पास जारी करने के लिए इच्छुक

निविदाकर्ता को प्रतिभागियों का विवरण 1 जून, 2026 को सुबह 10:00 बजे या उससे पहले estatekanpur@rbi.org.in पर ईमेल द्वारा भेजना होगा।

3. बैंक सबसे कम बोली की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. यदि निविदा के संबंध में भविष्य में कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे उपरोक्तानुसार सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा तथा उसे समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
5. यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। निविदा में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार प्रक्रियानुसार आवेदन कर सकते हैं। बिना मांगे प्राप्त प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर**



भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग, कानपुर

भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर के कार्यालय परिसर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरधी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लेड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

भाग I

निविदाकर्ता का नाम _____

पता _____

बोली-पूर्व बैठक की तिथि (ऑफलाइन):
स्थान: 2 मंजिल, सम्पदा विभाग

01 जून, 2026 को 11:00 बजे।

भारतीय रिज़र्व बैंक,
मॉल, कानपुर -208001

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:

03 जून, 2026 से

15 जून, 2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)

निविदा के भाग I के खुलने की नियत तिथि:

15 जून, 2026 दोपहर 03:00 बजे

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति है। इसे आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित, रिकॉर्ड या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसीज़ द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पूरी तरह से निषिद्ध है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार भारतीय कानून के तहत यह दंडनीय होगा।

निविदा की अनुसूची

i.	ई-निविदा नं.	आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/सम्पदा/1/26-27/ईटी/65
ii.	निविदा का तरीका	एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp भाग I - पूर्व-योग्यता मानदंड और तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य/वित्तीय बोली
iii.	निविदा मूल्य (कार्य की अनुमानित लागत)	₹ 22,73,000.00 (जीएसटी सहित)
iv.	तिथि जिससे निविदा दस्तावेज एमएसटीसी वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे	08 मई, 2026 (शाम 05:00 बजे से)
v.	इच्छुक निविदाकर्ताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय (प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए)	01 जून, 2026 को सुबह 11.00 बजे ऑफ़लाइन
vi.	बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, यदि कोई हो, का प्रकाशन	02 जून 2026
vii.	ई-निविदा के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने की प्रारंभिक तिथि	03 जून 2026 (शाम 05:00 बजे से)
viii.	बयाना जमा धनराशि (EMD)	<p>प्रत्येक बोलीदाता से 45,460/- रुपये (पैंतालीस हजार चार सौ साठ रुपये मात्र) एनईएफटी के माध्यम से जमा किए जाएंगे। लाभार्थी: आरबीआई कानपुर खाता: 186003001 आईएफएससी: RBIS0KNPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)</p> <p>ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए और estatekanpur@rbi.org.in को ई-मेल किया जाना चाहिए।</p> <p>(नोट: ईएमडी किसी अन्य खाते में जमा किया गया है या ऊपर उल्लिखित के अलावा भुगतान के किसी अन्य तरीके के माध्यम से भुगतान किया गया है, जिसे अधिकृत ईएमडी नहीं माना जाएगा)</p>
ix.	निविदा शुल्क	शून्य
x.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)

xi.	ई-निविदा के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
xii.	निविदा भाग I के खुलने की तिथि और समय	जून 15, 2026 03 पर: 00 PM भाग- II (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा और सफल बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
xiii.	लेन-देन शुल्क (विक्रेता द्वारा एमएसटीसी को भुगतान किया जाना है)	कृपया ध्यान दें कि विक्रेताओं को लेनदेन शुल्क के भुगतान के बाद ही ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच प्राप्त होगी। लेन-देन शुल्क का भुगतान (जैसा कि एमएसटीसी पोर्टल में उल्लेख किया गया है) एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे /एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना है।

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इन निविदा नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

- A) पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। **विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल प्रमाणपत्र और डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र होना चाहिए।** विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली केवल [एमएसटीसी ई-कॉमर्स \(mstcecommerce.com\)](http://mstcecommerce.com) (संस्करण 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 1) विक्रेताओं को विवरण भरकर और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाकर विक्रेता के रूप में [एमएसटीसी ई-कॉमर्स \(mstcecommerce.com\)](http://mstcecommerce.com) में खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → सबमिट करें।
- 2) विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम-जनरेटेड मेल प्राप्त होगा, जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।
- 3) अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/विजुअल/रजिस्ट्रेशन गाइड पर जाएं किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (MSTC):

(उपलब्धता: ई-नीलामी, ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक)

- I) एनआरओ हेल्पडेस्क- 01123212357, 01123215163, 01123217850;
ईमेल: mstcnro@mstcindia.co.in
- II) एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: :07969066600
Email-helpdesk@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)
- III) अभिषेक चौधरी -9662042884

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

(उपलब्धता: सभी कार्य दिवसों पर सुबह 09:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)

1. श्रीमती मानसी जैन, सप्र (इलेक्ट्रिकल, सम्पदा विभाग)
(mansij@rbi.org.in)
2. श्री सागर सिंह जादौन, सप्र.
(sagarsinghjadon@rbi.org.in)
3. श्री अविरल शुक्ला, (जेई (इलेक्ट्रिकल), सम्पदा विभाग)
(aviralshukla@rbi.org.in)
4. श्री अक्षत शर्मा (सहायक, संपदा विभाग)
(akshatsharma@rbi.org.in)

कार्यालयीन घंटों के दौरान संपर्क विवरण: 0512-2303830/31/32/34/35/36/37

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- I. विंडोज एक्सपी-एसपी3 और इसके बाद के संस्करण/विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- II. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
- III. डिजिटल हस्ताक्षर प्रकार के हस्ताक्षर
- IV. JRE 7 अपडेट 9 और इसके बाद के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स दिखने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > सुरक्षित मोड अक्षम करें, यदि सक्षम किया जाता है, तो "सुरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स: उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें।

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और उपकरण→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया MSTC ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर पृष्ठ से IE सेटिंग्स चलाएँ)

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर उपलब्ध पंजीकरण गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं

C) ई-टेंडर की प्रक्रिया:

1. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर ऑनलाइन जमा करना होगा
2. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए
3. भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।
4. भाग-II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके **लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा**। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।** एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए गतिविधि के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें।

अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

ई-टेंडर में बोली:

- a) **बयाना जमा राशि** भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए ईएमडी को पहले से ही भेज दें।

खाता नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर
खाता प्रकार : चालू खाता
खाता संख्या : 186003001

IFSC कोड: RBIS0KNPA01 (5वें और 10वें अंक शून्य हैं)
टिप्पणियां: आरबीआई कानपुर में यूपीएस बैटरियों का एसआईटीसी

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण estatekanpur@rbi.org.in को भेजें।

ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी की स्कैन की गई प्रति एमएसटीसी साइट पर अपलोड की जाएगी।

ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को नियत समय में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- c) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।
- d) विक्रेता का जावा अनुप्रयोग चल रहा होना चाहिए। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार जब वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और विवरण भर जाता है, तो विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को सहेजने के बाद, विक्रेता को बोलियां पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।
- f) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- g) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

- h) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- i) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
- k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- l) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।
- m) **निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।** किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- n) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- o) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और [बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित होने के लिए](#) एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पृष्ठ में वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे पोर्टल में निर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु के लिए जीएसटी सहित दर उद्धृत करें। उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सूची

क्रम	विवरण	पेज नं.
1.	खंड-I ई-निविदा का फॉर्म	8
2.	खंड-II निविदाकर्ताओं का विवरण	11
3.	खंड- III अनुबंध की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें	15

4.	खंड-IV सुरक्षा कोड, अग्नि सुरक्षा	30
5.	खंड-V यहां पहले संदर्भित स्थिति	32
6.	खंड-VI वाणिज्यिक जांच सूची।	52
7.	खंड-VII तकनीकी विनिर्देश/बैंक की अपेक्षाएँ	53
8.	धारा VIII- विचलन (यदि कोई हो)	56
9.	खंड IX तकनीकी मापदंडों का विवरण (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)	57
10.	खंड X मात्रा का अमूल्य बिल	58
11.	अनुलग्नक ए- सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	59
12.	अनुलग्नक बी- ठेकेदार के कार्य प्रदर्शन के लिए ग्राहक के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	62
13.	अनुलग्नक सी- अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	65
14.	अनुलग्नक डी- करार की शर्तें	66
15.	अनुलग्नक ई - आवेदन/प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) के लिए प्रारूप	74
16.	अनुलग्नक एफ- सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में जिसे निविदा में शामिल किया जाएगा	75
17.	अनुलग्नक जी - भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र	76
18.	अनुलग्नक एच- ओईएम से प्राधिकृत किए जाने का पत्र और वचनपत्र	77
19.	अनुलग्नक आई- अनुबंध श्रम नियमों/विनियमों का पालन न करने के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा	78
20.	अनुलग्नक जे- स्थानीय सामग्री के लिए घोषणा	79

खंड -I
निविदा प्रपत्र

स्थान _____

तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग,
कानपुर, उप्र-208001

महोदया/प्रिय महोदय

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों या डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच करने के बाद और अंत में निविदा से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात; हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की आपूर्ति और निष्पादन करने का प्रस्ताव करते हैं, ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मूल्य-बोली में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों जिन्हें लिखित रूप में निविदा की शर्तों 'करार, विशेष शर्तें, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तें और ऐसी सामग्री के साथ जो हमारे द्वारा प्रदान की जानी हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, के रूप में संदर्भित किया गया है।

ज्ञापन

(क)	कार्यों का विवरण	:	ई-निविदा: भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर के कार्यालय परिसर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरোধी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लेड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा
(ख)	काम की अनुमानित लागत	:	₹ 22,73,000/- (सभी सहित)
(ग)	बयाना पैसा	:	₹ 45,460/- (सभी निविदाकर्ताओं द्वारा जमा किया जाना है)
(घ)	कार्य प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी	:	प्रासंगिक निविदा खंड के अनुसार

(ड)	बिलों से काटे जाने वाले प्रतिशत	:	प्रासंगिक निविदा खंड के अनुसार
(च)	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय	:	कार्य पत्र सौंपने की तारीख से 14वें दिन से 75 दिन
(च)	परिसमापन क्षति		0.25% प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा **ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी** और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।
3. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्ति से बैंक द्वारा ऐसी रकम जब्त किए जाने और बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ ई-निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-टेंडर को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं,
5. हमने एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में **45,460/- की राशि जमा की है**, जिस पर कोई ब्याज नहीं देय है। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, या वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली को वापस ले लेते हैं, तो हम एतद्वारा सहमत होते हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।
5. ई-टेंडर एमएसटीसी पोर्टल पर अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में दो भागों में जमा किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक : दिन ___ माह ___ वर्ष _____

मैसर्स _____ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पद _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी चाहिए)।

गवाहगण

(1) हस्ताक्षर _____

नाम, पता और तारीख के साथ _____

(2) हस्ताक्षर _____

नाम, पता और तारीख के साथ _____

खंड II
निविदाकर्ताओं का विवरण

A. फर्म का विवरण:

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1.	चाहे मूल उपकरण निर्माता/सिस्टम इंटीग्रेटर हो	
	या अधिकृत डीलर (कृपया प्राधिकरण का प्रमाण पत्र जमा करें)	प्राधिकरण के प्रमाण पत्र के लिए हां/नहीं इंगित करें)
2.	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)	
3.	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
4.	जीएसटी नंबर	
5.	फर्म का पता	
	टेलीफोन	
	ईमेल	
	मोबाइल नंबर:	

B. बैंकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	विवरण (क्रास किया गया, रद्द चेक जमा करें)	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1.	बैंक का नाम	
2.	शाखा का पता	
3.	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5.	फर्म द्वारा बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6.	वह अवधि जिससे फर्म, बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

C. पूर्व-योग्यता मानदंड:

निम्नलिखित हमारे ग्राहक हैं जिनके लिए हमने पात्रता मानदंडों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान "पात्र" कार्य निष्पादित किए हैं (कृपया के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें)

क्रम	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	ग्राहक संगठन / फर्म का नाम:			
	पता:			
	संपर्क व्यक्ति का नाम:			

क्रम	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
	उसका मोबाइल नंबर:			
	उसका फ़ैक्स नंबर:			
	उसका टेलीफोन नंबर:			
	उसकी ई-मेल आईडी:			
2	संक्षिप्त विवरण के साथ "पात्र" कार्य का नाम			
3	कार्य आदेश सं. और तारीख			
4	कार्य आदेश/आदेश पत्र के अनुसार "पात्र" कार्य की लागत:			
5	प्रारंभ होने की तिथि			
6	पूरा होने की निर्धारित तिथि			
7	पूरा होने की वास्तविक तिथि			
8	देरी से पूरा होने के लिए ग्राहक द्वारा लगाए गए मुआवजे की राशि, यदि कोई हो:			
9	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य का सकल मूल्य:			

क्रम	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)

D. कृपया पूर्वयोग्यता मानदंडों के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रदान करें:

1	वर्षों में कार्य अनुभव (कृपया इस निविदा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी भी राशि का पुराना कार्य आदेश प्रस्तुत करें)	
2	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार) और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उसी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें	
	(a) 2025-26	
	(b) 2024-25	
	(c) 2023-24	

E. यूपी/दिल्ली/दिल्ली एनसीआर डिवीजन में सेवा दिए जाने विवरण-

स्टाम्प/तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

खंड III
संविदा की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें

3.1 कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्रिरोधी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लेड-एसिड (वीआरएलए) बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा के काम के लिए मूल उपकरण निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों/सिस्टम इंटीग्रेटर्स से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

3.1.1 दिनांक _____ की सुबह 11 बजे से सभी फर्मों को ऑनलाइन निविदाएं देखने/डाउनलोड करने की अनुमति दी जाएगी जो फर्म निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उन्हें अपनी निविदा भाग- II खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.2 पात्रता मानदंड – पूर्व-योग्यता दस्तावेज

i) उपकरण का एक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/अधिकृत डीलर होना चाहिए।

और

कार्य अनुभव: इच्छुक निविदाकर्ता के पास समान प्रकार के कार्य को करने में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक एस्टेट / औद्योगिक घरानों / सरकारी संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यूपीएस की वीआरएलए अग्रिरोधी बैटरी की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण कमीशनिंग (30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले पूरा किया गया उक्त कार्य का कोई एक कार्य आदेश)

और

ii) **योग्यता मानदंड:** इच्छुक निविदाकर्ता को इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करना चाहिए और किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एसएमएफ वीआरएलए यूपीएस बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग के तहत व्यक्तिगत रूप से लागत (30 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद पूरे किए गए कार्य) निम्नानुसार मूल्य के हों:

(ए) तीन कार्य जो अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं हैं

या

b) दो कार्य जो अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होंगे

या

c) एक कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होगी

और

iii) **कारोबार:** लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% का न्यूनतम वार्षिक कारोबार

तथा।

iv) काम की अनुमानित लागत के बराबर मूल्य का सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र होना चाहिए

और

v) बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए यूपी/दिल्ली/दिल्ली एनसीआर डिवीजन में अपने अधिकृत डीलर के माध्यम से सेवा सेटअप होना चाहिए।

निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:

- कार्य अनुभव मानदंड निर्धारित करने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र और कार्य आदेश की प्रति
- ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ अर्हक कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो पिछले तीन वर्षों के कारोबार को दर्शाता है और साथ ही इसी अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी देता है।
- आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, विशेष रूप से पैनल / कार्य के उद्देश्य के लिए, कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- प्राधिकृत पत्र के साथ उल्लिखित स्थान पर स्थापित सेवा के लिए प्रमाण जैसे बिजली बिल/टेलीफोन बिल/किराया करार आदि (यदि लागू हो) सिस्टम इंटीग्रेटर के मामले में, सिस्टम इंटीग्रेटर के नाम पर उपरोक्त सभी दस्तावेज सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
- विधिवत भरा हुआ, मुहर लगाई गई और निविदा के भाग 1 पर हस्ताक्षर किए गए (सभी पृष्ठ) और शुद्धिपत्र यदि कोई हो (सभी पृष्ठ)

एक फर्म द्वारा प्रस्तुत एक निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाती है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट: निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक का प्रमाण पत्र भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्रों के साथ होगा। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के बिना अपलोड किए गए आवेदन/निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं।

3.1.3 ई-निविदा जमा करना:

ई-निविदा तैयार की जाएगी और दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात्, भाग I और भाग II स्पष्ट रूप से एमएसटीसी पोर्टल पर क्रमशः "भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II - मूल्य" कवर पर इंगित किया जाएगा। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल ई-टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्मिलन, पोस्ट-स्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि ई-निविदाकर्ताओं के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि न की जाए। ई-निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अपेक्षित दस्तावेजों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से भरी होनी चाहिए।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी वेबसाइट पर ई-टेंडर जमा करें (www.mstcecommerce.com) यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी जमा करना चाहते हैं, तो वे इसे एमएसटीसी वेबसाइट पर अपने स्वयं के लेटर हेड / पेपर पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे।

3.1.4 इच्छुक निविदाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को बयाना राशि एनईएफटी (खंड I देखें) के रूप में भुगतान करेंगे। ईएमडी (जैसा लागू हो) के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बयाना राशि निविदाकर्ता को वापस कर दी जाएगी यदि उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन बिना किसी ब्याज के सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि खंड 3.12 के अनुसार वापस कर दी जाएगी।

ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता:

- i. प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही के विवरण को दबा देता है जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव डाल सकता था; या
- ii. बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है; या अनुबंध दिए जाने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है।
- iii. किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और काली सूची में डालना अभी भी लागू है।
- iv. यदि बोलीदाता कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

3.2 **बोली-पूर्व बैठक:** निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए दिनांक _____ को 11:00 बजे सम्पदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में एक पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें। वे किसी भी बिंदु/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उपयुक्त सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर देंगे और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए।

3.3 ई-निविदा ----- को दोपहर 1:00 बजे तक जमा / अपलोड किया जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में ----- को दोपहर 1:00 बजे के बाद कोई निविदा प्राप्त/स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.4 बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता **उसके चौदह दिनों के भीतर** अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और सफल निविदाकर्ता करार मसौदा और शर्तों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे इस तरह के औपचारिक समझौते को बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक

3.5.1 भाग I में बिना मूल्य वाली ई-निविदा शामिल होगी जिसमें निर्दिष्ट कार्यों का दायरा और दस्तावेज और वाणिज्यिक नियम और शर्तें, निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री के निर्माण, तकनीकी विवरण, चित्र आदि शामिल होंगे।

3.5.2 एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किए जाने वाले ई-निविदा की ईएमडी सबमिशन रसीद और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों वाले **निविदा के भाग I** में इस निविदा दस्तावेज में कहीं और उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:

- a) ई-निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार हो।
- b) वाणिज्यिक/तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।
- c) विस्तृत प्रस्तावित पूर्ण उपकरण विवरण, पेश किए गए उपकरणों के निर्माताओं के प्रासंगिक कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर हो
- d) ओईएम का एक पत्र, जिसमें बोलीदाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है, साथ ही भारत में इसी तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी बिक्री के बाद सेवा के संबंध में ओईएम के साथ करार की एक प्रति (केवल तभी लागू होता है जब बोलीदाता एक अधिकृत डीलर या सिस्टम इंटीग्रेटर हो)
- e) **पूर्ण तकनीकी विवरण** और निगमन के लिए प्रस्तावित किसी भी विशेष सुविधाओं को पूर्ण तकनीकी मूल्यांकन के लिए दिया जाना चाहिए। तकनीकी बोली जमा करते समय दावा की गई सुविधाओं/विशेषताओं के लिए सहायक दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे।
- f) धारा IX के तहत दिए गए तकनीकी डेटा शीट को पूरी जानकारी देते हुए भरा जाएगा।
- g) अनुलग्नक (ए-जे) के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र / घोषणाएं प्रस्तुत करने के लिए संलग्न हों।
- h) ग्राहक द्वारा रिपोर्ट की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रतियां (संलग्न प्रारूप में ग्राहकों से, जिनके लिए समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं) और अनुलग्नक में दिए गए नमूना प्रारूप के अनुसार बैंकर का प्रमाण पत्र

3.5.3 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थापना स्थल पर जाएं और निविदा से पहले साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें।

3.5.4 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशेषताओं के आधार पर ई-निविदा जमा करें, न कि किसी भी विचलन न रखें। यदि ई-निविदा

दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। **शर्तों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।**

3.5.5 ई-निविदाकार पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, उनके द्वारा धारित या डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के बारे में किसी तीसरे पक्ष के उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकारों, यदि लागू हो, का पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3.5.6 सभी सूचनाएं, पत्राचार **क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर को संबोधित किए जाएंगे।**

3.6 **भाग II - कीमत**

भाग II - "मूल्य बोली", ई-निविदा के साथ आपूर्ति की गई।

- a. इस भाग में प्रारूप (भाग II) के अनुसार मूल्य के विवरण के साथ केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल होंगी। भाग II में किसी अन्य अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। ई-निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- b. यदि कोई दस्तावेज कम है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक द्वारा अपने विवेक से ई-निविदा को अमान्य माना जा सकता है।
- c. ई-टेंडर भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी।
- d. ई-निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- e. उद्धृत दरों को समाप्त कार्य तक के लिए माना जाएगा और जब तक सिस्टम बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है, तब तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगी।
- f. उद्धृत दरें निश्चित होंगी और श्रम, परिवहन में विनिमय भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे काम यानी आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उपकरणों की कमीशनिंग के लिए उद्धृत किया जाएगा और इसमें सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ श्रमिकों का मुआवजा और तृतीय पक्ष देयता नीतियों, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी शुल्क के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

g. यदि आयात किए जाने की आवश्यकता हो, तो उपकरणों को ठेकेदारों के स्वयं के आयात लाइसेंस के आधार पर आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी भुगतान कानपुर में किए जाएंगे और केवल भारतीय रुपये में होंगे।

3.7 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मात्रा की अनुसूची के अनुसार सख्ती से कोटेशन दें। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। इस पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा

3.8 ई-टेंडर का खोला जाना

ई-निविदाओं का भाग I _____, 2026 को 1500 बजे ऑनलाइन खोला जाएगा। केवल उन्हीं ई-निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएंगी जिसके बारे में सभी पात्र निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

3.9 कार्य का संक्षिप्त दायरा

3.9.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे।

- कार्यालय परिसर, आरबीआई कानपुर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरोधी आवरण के साथ अग्निरोधी एसएमएफ वीआरएलए बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
- भारत में स्थित पोर्ट पर पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, समाशोधन, लोडिंग/अनलोडिंग और साइट पर अनलोडिंग सहित सभी सहायक उपकरणों/पुर्जों सहित सभी बैटरियों (विनिर्देशों के अनुसार) की सुपुर्दगी।
- यूपीएस रूम से 120KVA और 40 KVA यूपीएस दोनों की पुरानी SMF बैटरियों को हटाना और बायबैक के रूप में सामग्री का अंतरण करना।
- नए नट/बोल्ट, कॉपर लीड तार आदि प्रदान करके बैंक को निर्माण, कमीशन, परीक्षण और सौंपने का कार्य करना। बैटरियों की स्थापना और कमीशनिंग के लिए सभी संबद्ध कार्यों को उद्धृत दर में शामिल किया जाएगा।
- तीन साल के डीएलपी के दौरान दोषपूर्ण/कमजोर बैटरी विफल आईआर परीक्षण आदि के पूर्ण प्रतिस्थापन प्रदान करना। इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण की आवृत्ति हर 02 महीने में या निर्माता दिशानिर्देश के अनुसार, जो भी जल्दी हो, की जाएगी।

- मलबे, रेत, बची हुई सामग्री, कवर पेपर को हटाना; प्लास्टिक आदि बोलीदाता के कार्य के दायरे का हिस्सा होंगे।
- कोई अन्य कार्य, संबंधित लेकिन ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुबंध के कार्य के दायरे में होगा।

3.9.3 निविदा जमा करते समय निविदाकर्ता को तकनीकी विवरण पूरा करना चाहिए

3.9.4 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.9.5 निविदाकर्ता बैटरियों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, संयंत्रों, मचान, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

3.9.6 यदि आवश्यक हो तो बैंक की पूर्व अनुमति से समय पर पूरा करने के लिए कार्यों को विस्तारित घंटों में किया जा सकता है और इस संबंध में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

3.10 ई-टेंडर की वैधता

कीमतों के साथ ई-टेंडर शुरू में ई-टेंडर के भाग। को खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा। इस अवधि को लिखित में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदाकार इस अवधि के दौरान ई-टेंडर को रद्द या वापस नहीं करेगा।

3.11 न्यूनतम ई-टेंडर को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं

- **3.11.1** बैंक सबसे कम या किसी भी ई-टेंडर को स्वीकार करने या गैर-स्वीकृति (अस्वीकार करने) का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- **3.11.2** निविदाकार अपने ई-टेंडर जमा करने के माध्यम से या उसके संबंध में आकस्मिक या खर्च की गई किसी भी लागत, शुल्क, हर्जाने और व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, भले ही बैंक ई-टेंडर को संशोधित करने/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

3.12 दोष दायित्व अवधि के दौरान बयाना राशि, सुरक्षा जमा और प्रतिभूति

• 3.12.1 बयाना राशि :

सभी निविदाकारों को नेफ्ट के माध्यम से ₹45,460/- की बयाना राशि (जैसा लागू हो) जमा करनी होगी और नेफ्ट का विवरण (स्कैन की गई कॉपी) टेंडर के साथ अपलोड करना होगा या ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि को _____ बजे से पहले estatekanpur@rbi.org.in पर ईमेल द्वारा भेजना होगा। निविदाकार द्वारा भुगतान की गई ईएमडी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुबंध के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बयाना राशि जमा को मियादी जमा रसीदों, बीमा गारंटी, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल निविदाकार की ईएमडी, निविदा स्वीकार होने पर वापस कर दी जाएगी। जिस ठेकेदार को काम सौंपा गया है, उसके लिए ईएमडी क्लॉज 3.12.3 में उल्लिखित पीबीजी जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

• 3.12.2 प्रतिधारण राशि :

सुरक्षा जमा के रूप में ठेकेदार के प्रत्येक आरए बिल से बिल मूल्य का **5%** काटा जाएगा, जब तक कि कुल वसूली अनुबंध मूल्य के 5% तक न हो जाए। यह दोष दायित्व अवधि पीरियड के सफल समापन के बाद वापस कर दी जाएगी।

• **3.12.3 परफॉर्मेंस बैंक गारंटी :**

अनुबंध मिलने पर, सफल निविदाकार को किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य का **10% (दस प्रतिशत)** के बराबर की राशि या ऑनलाइन मोड के माध्यम से PBG के बराबर की राशि जमा करनी होगी, जिसे अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में काम सौंपे जाने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। **उक्त पीबीजी अनुबंध की पूरी अवधि (निष्पादन अवधि + आभासी पूर्णता की तारीख से 3 वर्ष का DLP + ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए 60 दिन) के दौरान वैध रहेगी।** पीबीजी या पीबीजी के समकक्ष राशि जमा करने में किसी भी देरी के मामले में, ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर जुर्माना काटा जाएगा। आरबीआई कानपुर के पास ठेकेदार द्वारा सेवाओं में किसी भी खराबी/जुर्माना/कमी की भरपाई के लिए पीबीजी को भुनाने (invoke करने) का अधिकार है।

3.13 भुगतान की शर्तें

इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:)

1. सामग्री (बैटरियां, इंटरकनेक्शन केबल और संबंधित सामान) की साइट पर डिलीवरी होने, उनकी जांच करने तथा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने पर आनुपातिक आधार पर **उद्धृत दर का 80%**:
(p. 2)
 - सीरियल नंबर के साथ निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाण पत्र
 - ठेकेदार का यह प्रमाण पत्र कि रख-रखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना (installation), कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटक, पुर्जे, उप-प्रणालियां, उपभोग्य सामग्रियां आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गए हैं। यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।
 - पैरा 3.15 में उल्लिखित सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियां
2. सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और बैंक को सौंपने तथा वैधानिक मंजूरीयां (यदि कोई हो) जमा करने पर **उद्धृत दर का 15%**।
3. **कुल राशि का 5%** प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा, जिसे केवल दोष देयता अवधि की 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने और उस अवधि के दौरान की सभी निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
4. यदि लागू हो, तो राज्य के कानून के अनुसार भुगतान से GST/IT/TDS की कटौती की जाएगी।

3.14 कर

उद्धृत की गई कीमतों में GST शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकार ई-टेंडर में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और ठेकेदार को इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.15 बीमा

ठेकेदार, कार्य शुरू करने से पहले, अपने खर्च पर आवश्यक बीमा जमा करेगा और कार्यों को दोबारा पूरा होने के आभासी पूर्णता तक आग से होने वाले नुकसान के खिलाफ अनुबंध की पूरी राशि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (जिसमें पहले नियोक्ता यानी आरबीआई का नाम रखा जाएगा) बीमाकृत

रखेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार पॉलिसी की प्रति और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास काम सौंपे जाने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर या साइट पर सामग्री भेजने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करेगा।

- ठेकेदार द्वारा ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, नियोक्ता स्वयं कार्यों का बीमा करा सकता है और इस डिफॉल्ट के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार के किसी भी देय राशि, जुर्माने आदि से काट सकता है।
- यदि कार्यों को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा होते ही या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को बहाल करते ही (यदि वे ऐसा चुनते हैं), पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यों को उसी तरह और अनुबंध की उन्हीं शर्तों के तहत पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि आग की घटना न हुई हो। आग के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए उतने समय विस्तार का हकदार होगा जो उचित समझा जाए।
- ठेकेदार काम शुरू करने से पहले, उपकरण/सामग्री निर्माता के कारखाने से निकलने के समय से लेकर बैंक को सिस्टम सौंपने तक, अपने खर्च पर सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा कराएगा और इसमें निम्नलिखित जोखिम कवर होने चाहिए:
 - ठेकेदार संपूर्ण जोखिम नीति।
 - साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
 - कुल ₹10.00 लाख की और प्रति दुर्घटना ₹2.50 लाख की सीमा के साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी।

3.15 कार्य पूरा करने की अवधि

- **3.15.1** ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा, और इसकी गणना कार्य शुरू करने के लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से की जाएगी।
- **3.15.2 कार्य पूरा न करने पर हर्जाना :**
अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह उस अवधि के लिए, जब तक कार्य अधूरा रहता है, अनुबंध राशि के **0.25% प्रति सप्ताह** की दर से परिसमापन हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनुबंध राशि के **अधिकतम 10%** के अधीन होगा। नियोक्ता ऐसे हर्जाने को ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काट सकता है।
- **3.16.3** बैंक भवन के परिसर के भीतर भंडारण स्थान प्रदान करेगा। हालांकि, भंडारित की गई सामग्रियों की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी या मजदूर के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।

3.17. दोष देयता अवधि

आभासी पूर्णता की तारीख से **3 वर्ष की अवधि** के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों पर सभी प्रकार के डिफेक्ट्स (दोषों) के खिलाफ गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर सिस्टम/सब-असेंबलियों में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकार द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ठीक किया/बदला जाएगा।

उद्धृत की गई दर में बैटरियों का कम से कम द्वैमासिक निरीक्षण (IR टेस्टिंग सहित) या निर्माता के दिशानिर्देश के अनुसार (जो भी पहले हो) तथा कितनी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल (शिकायतों) पर आना

शामिल होना चाहिए। इस वारंटी अवधि के दौरान किसी भी स्पेयर पार्ट्स की लागत, जिसमें खराबी/कमजोर बैटरी (जो IR टेस्टिंग में फेल हो जाए) को पूरी तरह से बदलना शामिल है, ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। गारंटी अवधि के दौरान बैंक, जनशक्ति या सामग्री के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। प्रतिधारण राशि/ पीबीजी (PBG) को 3 वर्ष के बाद केवल द्वैमासिक निरीक्षणों की रिपोर्ट जमा करने पर ही जारी किया जाएगा।

18 दोष देयता अवधि (DLP) के दौरान सेवा में देरी के लिए जुर्माना:

- DLP अनुबंध की अवधि के दौरान, यह पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इकाइयों का डाउनटाइम (बंद रहने का समय) न्यूनतम हो। निर्धारित समय के भीतर शिकायत का समाधान न करने की स्थिति में, वार्षिक रखरखाव शुल्क के **अधिकतम 100%** के अधीन नीचे दी गई राशि के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा:

	शिकायत अटेंड करने का समय	जुर्माना
(a) टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से शिकायत मिलने पर दोष/शिकायत का निवारण न करना	24 घंटे	निर्धारित समय के बाद ₹100/- प्रति दिन
(b) यदि अनिवार्य द्वैमासिक सेवा/निर्माता के अनुसार अनुशंसित सेवा नहीं की जाती है	-	देय राशियों में से ₹2,000/- प्रति सेवा
(c) दोषपूर्ण (खराब) बैटरी बदलने का समय	10 दिन	₹100/- प्रति दिन

इसके अतिरिक्त, यदि 10 दिनों की अवधि के भीतर सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सिस्टम को ठीक कराने का अधिकार होगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के देय भुगतानों से की जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक के पास सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में बैंक गारंटी को भुनाने (invoke करने) और अनुबंध को समाप्त करने का भी अधिकार होगा।

3.3.19 पैकिंग और प्रेषण

भारतीय परिस्थितियों के तहत समुद्र/वायु/रेल/सड़क मार्ग द्वारा होने वाले बहु-हैंडलिंग (बार-बार उठाने-रखने) और परिवहन को ध्यान में रखते हुए उपकरणों को बक्सों में उचित और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के कार्यालय भवन, कानपुर में सुपुर्द किए जाएंगे।

3.20 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना

निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, अनुबंध की शर्तें (जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है), तकनीकी विनिर्देश, ई-टेंडर दस्तावेजों के साथ संलग्न चित्र (Drawings), बैंक और निविदाकार के बीच इसके बाद हुआ पत्राचार और जारी किया गया कार्य आदेश ही सफल निविदाकार के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

- i. निविदाकार अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा और उसका प्रस्ताव पूरी तरह से उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। ई-टेंडर दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर

किए जाने चाहिए, जो यह प्रमाणित करेगा कि वह अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि से भली-भांति परिचित हो चुका है।

- **ii.** किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-टेंडर पर फर्म के सभी भागीदारों या ऐसे भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके पास फर्म की ओर से प्रस्तावित अनुबंध करने का आवश्यक अधिकार हो। अन्यथा, ई-टेंडर को खारिज किया जा सकता है।
- **iii.** बैंक से ई-टेंडर की स्वीकृति की सूचना मिलने पर, सफल निविदाकार अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकार मसौदा करार के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-टेंडर की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और ई-टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार मानी जाएगी, भले ही ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।
- **iv.** ठेकेदार अनुबंध को किसी अन्य को सौंपेगा नहीं। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने का एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा नियोक्ता के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी, और यह ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के अन्य कानूनी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

3.21 आंशिक ई-टेंडर स्वीकार करने का अधिकार

बैंक के पास निविदाकार द्वारा उद्धृत की गई समान कीमतों पर ई-टेंडर को पूरा या उसके किसी एक हिस्से (भाग) को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.22 ई-टेंडर का मूल्यांकन

- पात्र निविदाओं (Eligible Tenders - जो टेंडर के भाग I में योग्य पाई जाएंगी) का मूल्यांकन कार्य की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी/गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद 9 वर्षों की अवधि के लिए गैर-व्यापक सेवा अनुबंध के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।
- निविदाकारों के प्रस्तावों का मूल्यांकन उक्त प्रणाली के स्वामित्व के **शुद्ध वर्तमान मूल्य** के आधार पर किया जाएगा, जिसका उपयोगी सेवा जीवन 10 वर्ष माना गया है। उक्त **शुद्ध वर्तमान मूल्य** में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 1. कुल कार्य की लागत — मान लें (A)
 2. सामग्री के बायबैक के लिए छूट — मान लें (B)
 3. स्वामित्व की कुल लागत (शुद्ध लागत) — **C = A - B**
 4. कार्य का आवंटन ऊपर (C) पर गणना की गई स्वामित्व की कुल लागत के न्यूनतम मूल्य के लिए किया जाएगा।
 5. **स्वामित्व की कुल लागत = कार्य की लागत - बायबैक**

3.23 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ई-टेंडरिंग से पहले कार्यों के लिए अपने ई-टेंडर की शुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में तथा मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

- मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएं लगभग कुल कार्य की सीमा को दर्शाती हैं, लेकिन इनमें किसी भी हद तक भिन्नता हो सकती है और इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल सकता है।
- सफल निविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मदों को निष्पादित करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी मदें मात्राओं और दरों में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त मदों और उनकी मात्राओं के संबंध में निर्देशों की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित में जारी की जाएगी।
- ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा काम कड़ाई से विनिर्देशों के अनुसार और स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों की आवश्यकताओं तथा भारतीय विद्युत नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में किया जाएगा और किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के विचलन (बदलाव) की अनुमति नहीं होगी। इसके कारण होने वाली कोई भी दर टेंडर में ही शामिल की जाएगी।
- ई-टेंडर में उद्धृत दरों में मचान लगाने, रात में रखवाली और प्रकाश व्यवस्था करने, रविवार और छुट्टियों सहित दिन के समय भी होइस्ट वे की रखवाली और सुरक्षा करने, अन्य सभी निर्माणों, मामलों या चीजों की सुरक्षा के सभी शुल्क शामिल होंगे। ठेकेदार आवश्यकतानुसार या ऐसा करने का आदेश मिलने पर ऐसे सभी सेंट्रिंग, मचान आदि को हटाएगा, और कार्य के निष्पादन के दौरान प्रभावित हुए सभी मामलों और चीजों को बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से बहाल और ठीक करेगा।

3.24 भाषा

ड्राइंग, दस्तावेजों, कैटलॉग आदि के सभी लेबल सहित ई-टेंडर **अंग्रेजी भाषा** में होना चाहिए।

3.25. अन्य मुद्दे

ठेकेदार पूरा काम कड़ाई से स्वीकृत ड्राइंग, विस्तृत विशिष्टताओं और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर/सलाहकार की राय में, साइट की स्थिति के अनुकूल मामूली बदलाव किए जाने हैं और नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे निष्पादित करेगा।

3.26. निविदाकारों से अनुरोध है कि वे ई-टेंडर जमा करने से पहले ड्राइंग की जांच कर लें, कार्यस्थल का निरीक्षण करें, और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्यस्थल तक पहुंचने के साधनों, कार्य की प्रकृति आदि से खुद को परिचित कर लें।

3.27 कार्यस्थल पर कारखाना निरीक्षण

उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, बैंक के विवेक पर, किसी भी ग्रेड के बैंक के इंजीनियर या बैंक के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माता के स्थल पर उपकरण का निरीक्षण किया जा सकता है और उसके बाद ही शिपमेंट (भेजने) के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ठेकेदार अपने खर्च पर, निरीक्षक को वे सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा जो यह संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं कि उपकरण/कार्य का निष्पादन इस निविदा दस्तावेज से जुड़ी विशिष्टताओं में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है और/या किया गया है।

बैंक के इंजीनियर को अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ठेकेदार के कारखाने या कार्यस्थल तक पूर्ण और स्वतंत्र पहुंच होगी। वह ठेकेदार से अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर कार्य, उसके किसी हिस्से या किसी सामग्री के निरीक्षण के लिए व्यवस्था करने की मांग कर सकता है। यदि ठेकेदार को किसी उप-ठेकेदार की सेवा लेने की अनुमति दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के पास उप-ठेकेदार के लिए भी ऐसा ही अधिकार सुरक्षित रहेगा।

हालांकि, इससे ठेकेदार निर्दिष्ट साइट पर स्थापना और कमीशनिंग (Erection & Commissioning) के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा।

3.28 बैंक के इंजीनियर को उसके (सिस्टम के) हिस्से या उसके किसी भी भाग को बनाने वाले सभी उपकरणों और सामग्रियों का ऐसा परीक्षण करने का अधिकार होगा जिसे वह उचित और ठीक समझता है। निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण पद्धति पर ठेकेदार किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, वे सभी सामग्रियां, उपकरण, श्रमिक और हर तरह की सहायता प्रदान करेगा जो बैंक के इंजीनियर द्वारा उनके परिसर में किए जाने वाले किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और जांच के लिए मांगी जाएगी, और ठेकेदार उससे जुड़े सभी खर्चों का वहन करेगा और भुगतान करेगा। हालांकि, निरीक्षण स्थल तक बैंक के इंजीनियर (इंजीनियरों) के यात्रा, ठहरने और भोजन का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

3.29. अस्वीकृति के परिणाम:

यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा उपकरण या उसके किसी हिस्से को अस्वीकार कर दिया जाता है और ठेकेदार डिलीवरी की निर्धारित अवधि/पूर्णता अवधि के भीतर संतोषजनक आपूर्ति करने या इस प्रकार निष्पादित त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक करने में विफल रहता है, तो बैंक निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:

- **i)** ठेकेदार को एक निर्दिष्ट समय के भीतर अस्वीकार किए गए उपकरणों या पुर्जों के बदले उन्हें दोबारा जमा करने की अनुमति देना, जिसमें ऐसे प्रतिस्थापन पर माल दुलाई का खर्च यदि कोई हो, तो ठेकेदार वहन करेगा और वह उस मद में किसी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा; या
- **ii)** अस्वीकार किए गए उपकरण या पुर्जों की मात्रा/कार्य या उसी विवरण के अन्य उपकरणों (जब बैंक की राय में विशिष्टताओं का पूरी तरह से पालन करने वाले उपकरण या पुर्जे आसानी से उपलब्ध न हों, और बैंक का यह निर्णय अंतिम होगा) को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर खरीदना/निष्पादित करना या उसकी अनुमति देना, और इससे अनुबंध के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार की देनदारी प्रभावित नहीं होगी; या
- **iii)** अनुबंध को रद्द करना और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उपकरण या उसी विवरण के अन्य उपकरणों को खरीदना/निष्पादित करना या उसकी अनुमति देना। ऊपर दिए गए क्लॉज (b) या इस क्लॉज के तहत कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, डिलीवरी क्लॉज का प्रावधान जहां तक लागू हो, लागू होगा।
- **iv) अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम:** अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा, जो ठेकेदार की अपील के अधीन होगा।

3.30. प्रदर्शन को प्रमाणित करने का निरीक्षक का अधिकार:

बैंक के इंजीनियर के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

- किसी भी उपकरण या उसके हिस्से को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले, यह प्रमाणित करना कि निर्माण की किसी असंतोषजनक पद्धति को अपनाने के कारण वे या उनका कोई भी हिस्सा अनुबंध के अनुसार नहीं है;
- विशिष्टताओं के अनुरूप न होने पर प्रस्तुत किए गए किसी भी उपकरण या पुर्जों को अस्वीकार करना;
- निरीक्षण के लिए निविदा किए गए पूरे उपकरण को अस्वीकार करना, यदि उसके किसी हिस्से के निरीक्षण के बाद, वह अपने विवेक से उचित समझता है और संतुष्ट है कि वह असंतोषजनक है; और
- अस्वीकार किए गए उपकरण या पुर्जों पर अस्वीकृति का निशान लगाना ताकि दोबारा प्रस्तुत किए जाने पर उसकी आसानी से पहचान की जा सके।

3.31. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो। इसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधनों या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध के कारण होने वाली देरी, या परियोजना के अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देने में देरी, या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में होने वाली देरी शामिल है। नियोक्ता ई-टेंडर राशि के अलावा किसी भी अन्य राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इसमें दिए गए संशोधनों के अधीन है।

3.32. 3.32 श्रम लाइसेंस

ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य सभी प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन और पूर्ति करेगा, और यदि लागू हो तो सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उद्धृत की गई दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ESI, EPF, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि की राशि शामिल होगी।

3.33 सफल निविदाकार बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करेगा ताकि कार्य न्यूनतम संभव देरी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

3.34 मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा

अनुबंध से या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक को संदर्भित और उसके द्वारा निपटाया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र या अन्यथा के रूप में हो सकता है। अपवादित मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बिना किसी अपील के होगा, जैसा कि इसके क्लॉज 33 में कहा गया है।

लेकिन यदि ठेकेदार ऊपर बताए अनुसार बैंक द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर असंतुष्ट है (अपवादित मामलों को छोड़कर), तो वह ऐसे निर्णय का नोटिस मिलने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर विवादित मामलों पर मध्यस्थता की मांग कर सकता है। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों का विशेष रूप से उल्लेख होगा जो विवाद या मतभेद के अधीन हैं। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति न बनने की स्थिति में, दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक मध्यस्थ नामांकित करेंगे। पक्षों द्वारा नामांकित दो मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामांकित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों (जैसी भी स्थिति हो) के पास पिछले क्लॉज में संदर्भित अपवादित मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग पत्र या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए गए उन सभी मामलों का निर्धारण करने की शक्ति होगी जिनका नोटिस ऊपर बताए अनुसार दिया गया है।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, संदर्भ (Reference) में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए आगे के विस्तारित समय के भीतर) अपना पंचाट (फैसला) देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्ष आपस में अपने विवाद या मतभेद का समाधान या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा ऐसे समझौते या सुलह की शर्तों के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट के आकस्मिक खर्चों पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षों के बीच टैक्स करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह निर्देशित करेंगे कि यह किसके द्वारा, किसे और किस तरह से वहन और भुगतान किया जाएगा।

इस प्रस्तुतीकरण को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी वैधानिक संशोधन के दायरे में मध्यस्थता के लिए किया गया प्रस्तुतीकरण माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति दी जाती है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी मुस्तैदी के साथ काम जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी फैसला ठेकेदार को वास्तविक कार्यों को पूरा करने के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज के तहत मध्यस्थता, अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

3.35 अंतिम बिल की तकनीकी संवीक्षा का अधिकार

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार के अंतिम बिल और सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा यह पाया जाता है कि किसी राशि का अधिक भुगतान किया गया है या अधिक प्रमाणित किया गया है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

3.36 नियोक्ता श्रमिक को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली का हकदार

यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनरधिनियमन के प्रावधानों के बल पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी श्रमिक को मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई मुआवजे की राशि वसूल करने का हकदार होगा, और यह उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

नियोक्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से को सुरक्षा जमा से काटकर या नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से वसूल कर सके। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध (मुकदमा लड़ने) करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

3.37 कार्यों का परित्याग

यदि निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी हिस्से को कराए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में नोटिस देगा, जिसका पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ या फायदे के मद में मुआवजे या किसी अन्य भुगतान पर कोई दावा नहीं होगा।

3.38 अतिरिक्त सामग्री की वापसी

इस अनुबंध के किसी भी या सभी खंडों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहाँ अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, परमिटों या लाइसेंसों के तहत की गई खरीद के माध्यम से प्राप्त की जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को किफायती तरीके से और पूरी तरह से केवल अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना

उन्हें डिस्पोज़ (बेचेगा या नष्ट) नहीं करेगा, और नियोक्ता द्वारा आवश्यकता होने पर उसे नियोक्ता को लौटा देगा।

यह वापसी बैंक द्वारा निर्धारित कीमत पर होगी जो सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। निर्धारित की जाने वाली कीमत ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए बिक्री, चुंगी और ऐसे अन्य उपकरणों सहित मूल खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, ठेकेदार नियोक्ता के प्रति उन सभी पैसों, लाभों या फायदों के लिए उत्तरदायी होगा जो इस तरह के उल्लंघन के कारण उसे प्राप्त हुए हैं या सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त हो सकते थे।

3.37 ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, जो कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

3.38 गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान अपने कब्जे या ज्ञान में आने वाली बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और हर समय इसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जो इसके तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा।

किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा।

3.39 यौन उत्पीड़न खंड

क. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।

ख. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग. ठेकेदार उस स्थिति में भुगतान किए जाने वाले किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं; उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को मिलने वाली किसी भी मौद्रिक राहत के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

घ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ड. ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतित सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनात हैं।

3.42 अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से बाहर की किसी घटना (जैसे कि दैवीय आपदा/ईश्वरीय कृत्य, युद्ध जैसी स्थितियाँ, दंगे, श्रमिक हड़ताल, सरकारी कार्रवाइयाँ, भूकंप, चक्रवात, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आदि) के कारण इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उस पक्ष को इस समझौते के तहत चूककर्ता नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत कार्य जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण कार्य न करने की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो वह पक्ष जिसकी कार्य करने की क्षमता इससे प्रभावित नहीं हुई है, लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है।

3.43 खंड 40, 41 और 42 दोष देयता अवधि के दौरान भी करार का हिस्सा रहेंगे।

3.44 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) एफ. संख्या 6/18/2019-PPD दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से शामिल जीएफआर 2017 (GFR 2017) के नियम 144(xi), इसके आगे जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेशों और उनके बाद के संशोधनों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना जमा राशि/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले टेंडरों में भाग लेने से प्रतिबंधित भी कर सकता है।

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान :

(प्राधिकरण/मुख्तारनामा धारित व्यक्ति द्वारा)

खंड IV

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार उपकरण, जिसमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखे जाएँगे।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. ऐसे सभी कार्यों के लिए, जिन्हें ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मज़बूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर नहीं रखा जाएगा, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक छिद्र में उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएँगे; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के किसी अन्य भाग पर सामग्री या मलबे का इतना अधिक भार नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएँगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे श्रमिकों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच और दस्ताने प्रदान किए जाएँगे।
10. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के अलावा, सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्प्रे के रूप में पेंट लगाते समय या सीसा पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर खुरचते समय श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएँगे।
11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएँगे और काम बंद होने की अवधि के दौरान काम करने वाले चित्रकारों को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
12. कार्यों में प्रयुक्त उत्पादक मशीनें और उपकरण, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, पूरी तरह से सही स्थिति में होने चाहिए। सामग्री को उठाने या नीचे उतारने में प्रयुक्त रस्सियाँ, या निलंबन के साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाले होने चाहिए और दोषों से मुक्त होने चाहिए।
13. ठेकेदार सांविधिक मानदंडों के अनुसार काम करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।
14. कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी किए जाएँगे।

अग्नि सुरक्षा

- i. कार्यस्थल पर प्रयुक्त कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. केवल ISI चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
- iii. प्रयुक्त विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग उचित होनी चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
- vi. कार्यस्थल पर आसानी से पहुँचने योग्य क्षेत्र में पानी और रेत से भरी दो बाल्टियाँ रखी जानी चाहिए।
- vii. अनुशंसित अग्निशामक यंत्र कार्यस्थल पर रखे जाने चाहिए।
- viii. प्रयुक्त पेंट ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- ix. कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर मास्क, ईयर प्लग आदि प्रदान किए जाने चाहिए।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कामगारों द्वारा भूतल से 10 फीट से अधिक ऊँचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के लॉबी के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाने चाहिए।
- xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
- xv. कार्य से उत्पन्न किसी भी लकड़ी की छीलन और आरी के बुरादे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

पता

दिनांक:

खंड V
इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें

इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

ए) "नियोक्ता"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुद्देश्य और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
बी) कंपनी के मामले में	"ठेकेदार का मतलब _____ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।
सी) "साइट"	इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
डी) "यह अनुबंध"	इसका अर्थ होगा समझौते का लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित।
ई) "लिखित रूप में सूचना"	इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।
एफ) "दिवालिया अधिनियम"	इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।
जी) "शुद्ध मूल्य"	यदि अनुबंध राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या

	अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। अनुबंध या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।
एच) "कार्य"	इसका अर्थ होगा "कानपुर में बैंक के कार्यालय परिसर और दो आवासीय कॉलोनियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित जैविक अपशिष्ट कनवर्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग"

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।

1. डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
2. आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
3. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
4. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
5. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
6. किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।
7. इसके खंड 20 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों

का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। ठेकेदार लाइन आरेख तैयार करेगा और कार्य करने के लिए साइट की योजना तैयार करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधि के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखणों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 17 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए

तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएँगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. बैंक के इंजीनियर: "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

बैंक के इंजीनियर या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्रियों के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग

बंद कर दिया जाएगा। कार्य की समय-समय पर सहायक महा प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को उन दोषों को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश लेगा।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

16. कार्यों का मापन :- बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की

सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएंगे।

17. अतिरिक्त मूल्य: ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखणों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(b) मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएंगे।

© जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित समझे।

(d) जहाँ अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहाँ ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

19. अनुचित कार्य को हटाना: नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और आरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्चे पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएँगे।

20. वास्तविक समापन के बाद दोष: कोई भी दोष, मूल्यहास, समायोजन या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या यदि किसी ने इनका उल्लेख नहीं किया है तो कार्य के वास्तविक समापन के बारह महीने के भीतर, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली कारीगरी की सामग्री से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक की स्थिति में नियोक्ता ऐसे दोषों,

मूल्यहास समायोजन या अन्य दोषों को ठीक करने और संशोधित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय जो इसके आनुषंगिक हैं, नियोक्ता द्वारा ठीक किए जाएंगे और वहन किए जाएंगे या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से काट लिया जाएगा या जो ठेकेदार को देय हो सकती है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और कमियों को पूरा करने के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जिसे नियोक्ता द्वारा समकक्ष निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत और इस धारा के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे इस धारा के तहत खंड 12 और 22 के तहत नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई या आपूर्ति की गई थी और इस धारा और इस धारा 2 के प्रावधान के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद ठेकेदार खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

21. वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

22. नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा

कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

23. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति: नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

ठेकेदार, किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति के सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के अंतर्गत देयता में अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वे निर्माण कार्य के ठीक बगल में हों या अन्यथा, सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला नुकसान भी शामिल होगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उपरोक्त किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हुई चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसान और खर्चों के संबंध में, और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या क्षति के संबंध में भी, बैंक को हानिरहित रखेगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए एक सर्व जोखिम पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा, ठेकेदारों के लिए मानक सर्व जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध और कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा ताकि पूरे कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके और ताकि संपत्ति या तीसरे पक्ष को नुकसान के सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके।

तीसरे पक्ष के दायित्व को कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी ठेकेदार द्वारा मानव जीवन की हानि/अक्षमता (वे व्यक्ति जो ठेकेदार के नहीं हैं) को कवर करने के लिए ली जाएगी। यह स्थल पर उक्त अनुबंध कार्य के निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग के दौरान बैंक की, यदि कोई हो, सामग्रियों/उपकरणों/संपत्तियों सहित दूसरों की सामग्रियों/उपकरणों/संपत्तियों को होने वाले नुकसान के जोखिम को भी कवर करेगी। मानव जीवन की हानि या पूर्ण/आंशिक अक्षमता के मुआवजे के लिए तीसरे पक्ष के दायित्व का मूल्य पूर्ण और आंशिक अक्षमता के लिए आवश्यक वैधानिक मूल्य का होगा और फिर भी यह ऐसे मुआवजे को कवर करेगा जैसा कि कानून की अदालत द्वारा प्रदान किया जा सकता है। दूसरों के उपकरण/संपत्ति को नुकसान के लिए कवर बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसार होगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी के धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का मुख्य धारक होगा। बैंक के पास पॉलिसी को सौंपने का विशेष अधिकार सुरक्षित है।

ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो जनता के किसी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर, अनुबंध के आभासी समापन तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा की पॉलिसी प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर वास्तुकार के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा।

ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति करेगा जो इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू कर्मचारी मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत या सामान्य कानून के तहत ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता पर किए जा सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में ऐसे जोखिमों के खिलाफ प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर वास्तुकार के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर संदर्भित बीमा पॉलिसियों से निष्पादित किया जा सकता है और इस अनुबंध पारगमन, भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी के लापरवाही या दोषपूर्ण निष्पादन के आनुषंगिक किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाले अन्य सभी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या खर्च के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या नुकसान के किसी भी अधिनिर्णय के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

नियोक्ता ऐसे किसी भी दावे या नुकसान से उत्पन्न या अर्जित होने वाले किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और खर्च की राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी या सभी राशियों से कटौती करने का हकदार होगा, इसके संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, (अनुबंध के आभासी समापन तक) एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम में नियोक्ता के पहले (प्रधान) होने के साथ निम्नलिखित बीमा पॉलिसी प्रभावी करने और बनाए रखने की

व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा।

1. अनुबंध की कुल राशि के लिए ठेकेदार की सर्व-जोखिम पॉलिसी (C.A.R. policy)
2. कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी।
3. कुल ₹10.00 लाख की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसकी सीमा प्रति दुर्घटना ₹2.50 लाख है।

25. बीमा: ठेकेदार, कार्यों के प्रारंभ होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपने खर्च पर कार्यों का बीमा करेगा और कार्यों के आभासी समापन तक, **नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (पॉलिसी में पूर्ववर्ती का नाम पहले रखा जाएगा) एक कार्यालय के साथ अनुबंध की पूरी राशि के लिए** आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ उन्हें बीमाकृत रखेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। **ठेकेदार कार्य सौंपे जाने के दिन से चौदह दिनों के भीतर पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास जमा करेगा।** ठेकेदार द्वारा ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा न कराने की चूक की स्थिति में, नियोक्ता कार्यों का इस प्रकार बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी धन से कटौती कर सकता है, इस तरह की चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। यदि कार्यों को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा होते ही, या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को बहाल (पुनर्स्थापित) करते ही, यदि वे ऐसा करना चुनते हैं, तो कार्यों को उसी तरह से पूरा करने के लिए पूरी उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ेगा जैसे कि आग नहीं लगी थी और अनुबंध की उन्हीं शर्तों के तहत सभी मामलों में आगे बढ़ेगा। आग के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार पूरा करने के लिए उतने समय के विस्तार का हकदार होगा जैसा उचित समझा जाए।

26. कार्य प्रारंभ करने और पूरा करने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य प्रारंभ करने की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य पूरा करने की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

27. कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहां खंड 26 एवं 20 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि को "परिसमाप्त क्षति" के रूप में उस अवधि के लिए भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है।

28. विलंब और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण

या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिल्टिंग ट्रेड को प्रभावित करना या (छ) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से, जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य और कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार यथाशीघ्र बैंक को लिखित सूचना देकर किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

29. ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता: यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, ऐसे आगे के रेखाचित्रों और/या बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो भी उसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

30. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन होगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर वास्तुकार की उचित संतुष्टि को दर्शाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और इसके लिए, यदि वास्तुकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होगा।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, प्रथम या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के निष्पादन या अन्य न्यायिक प्रक्रिया को सहन करता है।

या इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क होने देता है।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को उप-पट्टे पर सौंप देता है।

या इस अनुबंध या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करता है।

(i) अनुबंध को त्याग दिया है, या

(ii) कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अधीन बैंक से कार्य आरंभ करने का नोटिस प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या

- (iii) कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अधीन बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट और अस्वीकार कर दिया गया था' या
- (v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के बाद भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले किसी भी कार्य, मामले या चीज़ का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या विफलता की है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी पूर्व अधित्याग के होते हुए भी, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के पश्चात, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो संपूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेगा मानो अनुबंध का निर्धारण न किया गया हो, और ऐसा तब भी होगा जब बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। और इसके अतिरिक्त, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या उन्हें अपने सेवकों और कर्मकारों के माध्यम से कार्य को चलाने और पूरा करने में नियोजित कर सकता है या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने और परिष्करण करने या सामग्रियों और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सुविधानुसार बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसे प्राप्त होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री में से कितनी सामग्री नियोक्ता के कब्जे में है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि हुई है और राशि कितनी है। यदि कोई हो, तो ठेकेदार को देय और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार

कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या अनुबंध के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. प्रमाणपत्र और भुगतान: ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किशतों द्वारा निष्पादित कार्यों के मद में भुगतान किया जाएगा कि परिशिष्ट (अपेंडिक्स) में 'अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य' के रूप में नामित अनुमानित मूल्य का कार्य इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, यह परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण राशि" (टोटल रिटेंशन मनी) के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत के प्रतिधारण (रोक कर रखने) के अधीन होगा, जिसके समय के बाद किशतें बाद में इस प्रकार निष्पादित और भवन में स्थापित कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य आभासी रूप से पूरे हो जाएंगे, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार परिशिष्ट में "आभासी समापन के बाद की किशत" के रूप में नामित धन राशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होगी। और ठेकेदार आभासी समापन की तारीख से इसके परिशिष्ट में 'दोष दायित्व अवधि' (डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड) के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर, या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरे हो जाएंगे और इसके वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार सभी दोषों को ठीक कर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो, अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा; बशर्ते हमेशा कि उनके पूरा होने पर या उसके बाद ठेकेदार को क्लॉज 21 और 36 के तहत उसके दायित्व से राहत नहीं मिलेगी और न ही कार्यों या सामग्रियों से संबंधित या प्रमाणपत्र में निपटाए गए किसी भी मामले से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से छिपाने के मामलों में और कार्यों या सामग्रियों में उन सभी दोषों और कमियों के मामले में जिन्हें एक उचित जांच प्रकट नहीं कर सकती थी, ठेकेदार को उसकी अक्षमता से राहत मिलेगी।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके किसी भी भाग को उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा हो।

33. विलंबित भुगतान: नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में दिए गए 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर उस तारीख से, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, भुगतान होने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में उल्लिखित दर से ब्याज लगेगा।

34. इसके खंड 2(क), 2(ख), 4, 5, 14, 20(a,b,c,d और f) (जिन्हें इसमें अपवादित मामले कहा गया है) के अंतर्गत

आने वाले सभी या किसी भी मामले से संबंधित निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होगा तथा संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अपील के अधीन नहीं होगा। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) इसी प्रकार इसके खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा।

35. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा: अनुबंध से या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक को संदर्भित और उसके द्वारा तय किए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित में देगा। ऐसा निर्णय एक अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। अपवादित मामलों में से किसी के भी संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और जैसा कि इसके क्लॉज 3.34 में कहा गया है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले पर जिससे बैंक द्वारा ऊपर के अनुसार निर्णय लिया गया है, अपवादित मामलों में से किसी को छोड़कर, असंतुष्ट है, तो ठेकेदार ऐसा निर्णय का नोटिस प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यकता होगी कि विवादित मामलों पर मध्यस्थताकी जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनके संबंध में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति न बन पाने की स्थिति में, दोनों पक्ष अपनी-अपनी ओर से मध्यस्थ के रूप में एक-एक व्यक्ति को नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, के पास पिछले क्लॉज में संदर्भित अपवादित मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और विवाद के उन सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनका नोटिस पूर्वोक्त के अनुसार दिया गया होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए ऐसे आगे बढ़ाए गए समय के भीतर) अपना अधिनिर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा समझौते या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थगण जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते की शर्तों के अनुसार एक अधिनिर्णय देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, क्रमशः संदर्भ और अधिनिर्णय के आनुषंगिक लागत पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर होगा, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्ष और पक्ष के बीच इसे टैक्स (आकलित) करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह निर्देश देंगे कि इसे किसके द्वारा और किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

इस प्रस्तुति को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ के

भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का अधिनिर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी उचित तत्परता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, का कोई भी अधिनिर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज के तहत मध्यस्थता, अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व-शर्त) होगी।

36. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को कार्य और ठेकेदार के अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जाँच कराने का अधिकार होगा, जो अंतिम बिल के भुगतान के समय प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप, अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार

यदि किसी भी कारण से नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, वह भी उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

38. कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने की मांग नहीं करता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के लिए मुआवजे या अन्यथा किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिटों या लाइसेंसों के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययतापूर्वक और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के प्रति सभी धनराशि, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुए या सामान्य क्रम में हुए होते।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान अपने कब्जे या ज्ञान में आने वाली बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और हर समय इसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जो इसके तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का हकदार होगा।

42. यौन उत्पीड़न खंड

क. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।

ख. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग. ठेकेदार उस स्थिति में भुगतान किए जाने वाले किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं; उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को मिलने वाली किसी भी मौद्रिक राहत के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

घ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ङ. ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतित सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनात हैं।

43 खंड 41 और 42 एएमसी के दौरान भी करार का हिस्सा रहेंगे।

44 अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से बाहर की किसी घटना (जैसे कि दैवीय आपदा/ईश्वरीय कृत्य, युद्ध जैसी स्थितियाँ, दंगे, श्रमिक हड़ताल, सरकारी कार्रवाइयाँ, भूकंप, चक्रवात, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आदि) के कारण इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उस पक्ष को इस समझौते के तहत चूककर्ता नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत कार्य जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण कार्य न करने की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो वह पक्ष जिसकी कार्य करने की क्षमता इससे प्रभावित नहीं हुई है, लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है।

45. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) एफ. संख्या 6/18/2019-PPD दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से शामिल जीएफआर 2017 (GFR 2017) के नियम 144(xi), इसके आगे जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेशों और उनके बाद के संशोधनों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो उसकी निविदा/ कार्य आदेश को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना जमा राशि/परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले टेंडरों में भाग लेने से प्रतिबंधित भी कर सकता है।

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:
स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

परिशिष्ट यहां संदर्भित किया गया है

1.	दोष देयता अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 36 महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 3 महीने।
3.	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश की तारीख से 14 वां दिन
4.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश के 14वें दिन से 75 दिन
5.	परिसमापन क्षति	विलंब के प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 0.25% अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधधीन।
6.	अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए कार्य का मूल्य	अनुबंध मूल्य का 50%
7.	बिल के भुगतान की अवधि	आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद अंतरिम बिल के लिए 1 महीने और अंतिम माप और बिल जमा करने की तारीख से अंतिम बिल के लिए 3 महीने का समय

स्थान

दिनांक

मुहर और ठेकेदार के हस्ताक्षर

खंड VI
वाणिज्यिक चेकलिस्ट

क्रम सं	विवरण	बैंक की शर्तें	निविदाकर्ता को स्वीकार्य है या नहीं (हाँ या नहीं इंगित करें)
1.	वैधता	भाग I खोलने की तारीख से 90 दिन	
2.	ईएमडी	45,460/- रुपये	
3.	कीमतें	अनुबंध की पूरी अवधि के लिए दृढ़ रहेगा।	
4.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 75 दिन।	
5.	कार्य पूरा होने में विलंब के लिए परिसमापन क्षति	प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 0.25% अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधधीन।	
6	दोष देयता अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 36 महीने।	
7	डीएलपी/वारंटी अवधि के दौरान जुर्माना	निविदा के भाग I के खंड 3.18 के अनुसार	
8	दोष अक्षमता अवधि	आभासी समापन की तारीख से तीन साल।	
9	भुगतान की शर्तें	निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार	
10	सुरक्षा-कवच	निम्नलिखित शामिल किया जाएगा 1. ठेकेदार सभी जोखिम नीति। 2. कामगार मुआवजा नीति और 3. नियम और शर्तों के अनुसार थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी	
11	साइट का दौरा	विक्रेता अपनी दरों का उल्लेख करने से पहले साइट का दौरा करेगा। मूल्य बोली खोलने के बाद कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।	
14	प्रतिधारण धन	धारा 3.12 के अनुसार	
15.	निष्पादन बैंक गारंटी	धारा 3.12 के अनुसार	

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

खंड VII

तकनीकी विनिर्देश/बैंक की आवश्यकताएं

(ए) एसएमएफ वीआरएलए बैटरी के लिए तकनीकी विशिष्टता:

- बैंक 12 वी, 150 एच क्षमता और 12 वी की नई सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लीड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी, 02x120 केवीए यूपीएस सिस्टम के पुराने बैटरी बैंक के प्रतिस्थापन के लिए 100 एच क्षमता वाली फ्लेम रिटार्डेंट केसिंग और 40 केवीए यूपीएस सिस्टम के 1 नंबर की बैटरी स्थापित करना चाहता है।
- बैटरी को IS 15549:2005 (या नवीनतम)/IS16220 या समकक्ष मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- इस कार्य में मौजूदा बैटरी रैक में मौजूदा बैटरियों को हटाने के बाद नई बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, और मौजूदा यूपीएस सिस्टम के साथ सांकेटिंग और सिंक्रनाइजेशन सहित मौजूदा बैटरी रैक में बैटरी के इंटरकनेक्शन के लिए उपयुक्त एंड टर्मिनलों के साथ उपयुक्त आकार के नए कॉपर फ्लेक्सिबल केबल/लीड तारों का उपयोग करके नई बैटरी स्थापित करना शामिल है। उद्धृत दरों पर सभी पुरानी बैटरियों को हटा दें।
- उपरोक्त विनिर्देशों/आवश्यकताओं में से किसी का भी अनुपालन न करने का स्पष्ट रूप से निविदा में बिंदुवार उल्लेख किया जाना चाहिए।

(a) बैटरी में निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटर होंगे:

नाममात्र वोल्टेज	12 वोल्ट
नाममात्र क्षमता	बैटरी विनिर्देशों के अनुसार
टर्मिनल	टर्मिनल बड़े सतह क्षेत्र होंगे, अधिकतम चालकता या निर्माता मानक प्रदान करते हैं।
टर्मिनल प्रकार:	M8 x25mm कॉपर-बोल्ट या निर्माता स्टैंड डिज़ाइन के अनुसार।
फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज	न्यूनतम 13.5 वोल्ट प्रति module@27 डिग्री सेल्सियस
चार्जिंग वोल्टेज बढ़ाएँ	न्यूनतम 13.8 वोल्ट प्रति module@27 डिग्री सेल्सियस
आह दक्षता	90% से ऊपर
WH दक्षता	80% से ऊपर
बैटरी केस राल:	मुहरबंद रखरखाव मुक्त लौ retardant (सुरक्षा के लिए V2 / V1 / V0 वर्ग) पॉलीप्रोपाइलीन सह बहुलक
सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट का प्रकार	फ्लैट चिपकाया हुआ
प्रति माह स्व-निर्वहन @ 27 डिग्री सेल्सियस	< रेटेड क्षमता का 4%
तापमान मुआवजा	+ -18 एमवी/बैटरी/डिग्री सेल्सियस (स्टैंडबाय उपयोग के लिए) + -30 एमवी/बैटरी/डिग्री सेल्सियस (चक्रीय उपयोग के लिए)
ऑपरेटिंग तापमान रेंज	0 से 45 डिग्री सेल्सियस

(b)

क 12 वोल्ट, 150 एच बैटरी बैंक के लिए विशिष्टता:-

नाममात्र क्षमता	150 डिग्री सेल्सियस पर 27 एच
27 डिग्री पर पूरी तरह से चार्ज स्थिति के लिए आंतरिक प्रतिरोध। सेंट.:	5 मिली ओम से कम या उसके बराबर।
बैटरी का वजन	45-50 किग्रा

ख 12 वोल्ट, 100 एच बैटरी बैंक के लिए विशिष्टता:-

नाममात्र क्षमता	100 डिग्री सेल्सियस पर 27 एच
27 डिग्री पर पूरी तरह से चार्ज स्थिति के लिए आंतरिक प्रतिरोध। सेंट.:	6 मिली ओम से कम या उसके बराबर।
बैटरी का वजन	30-35

(ग) सभी बैटरियां निविदा में उल्लिखित अनुमोदित मेक की होनी चाहिए।

(घ) कार्य का दायरा और अन्य शर्तें:-

- वांछित विनिर्देशों के अनुसार बैटरियों की आपूर्ति और उन्हें प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर रखना। लोडिंग या अनलोडिंग शुल्क या किसी भी अन्य आवश्यक श्रम को उद्धृत दरों में शामिल किया जाना चाहिए।
- नई बैटरियों को मौजूदा बैटरी स्टैंड में रखा जाना चाहिए। ठेकेदार को मौजूदा बैटरी स्टैंड के आयामों को समझने के लिए साइट का दौरा करना चाहिए और प्रतिस्थापन के बाद नई बैटरी उसी स्टैंड में फिट हो जाएगी।
- यूपीएस के एएमसी विक्रेता के समन्वय में बैटरी बैंक को तोड़ना और स्थापित करना, सभी बैटरियों को जोड़ने के बाद मौजूदा बैटरी बैंक को बदलने के लिए नए **टर्मिनल नट और बोल्ट और उपयुक्त आकार के नए लचीले तांबे/सीसे के तार और बैटरियों के इंटरकनेक्शन और** मौजूदा यूपीएस सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ेशन के लिए कॉपर एंड टर्मिनल प्रदान करना।
- यूपीएस आपूर्ति को बंद करने के लिए प्रभारी इंजीनियर के साथ समन्वय में बैटरियों को बदला जा सकता है।
- **बैटरी की आपूर्ति और स्थापना के अलावा, इस काम में द्विमासिक आधार पर निरीक्षण द्वारा बैटरी स्वास्थ्य की जांच, बैटरी की स्थापना के महीने से वार्षिक आधार पर त्रैमासिक, आईआर परीक्षण और लोड परीक्षण भी शामिल है। किसी भी दोषपूर्ण बैटरी को तीन साल के लिए मुफ्त में बदला जाएगा यानी फर्म को बैटरी के लिए तीन साल की वारंटी प्रदान करनी होगी। बैटरियों को बदलने के लिए कोई भुगतान/आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा**
- निविदाकर्ता एसएमएफ बैटरी के लिए अग्निरधी आवरण के संबंध में ओईएम से परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- निविदाकर्ता परिसर का दौरा करेगा और साइट की स्थितियों, मौजूदा संरचनाओं, इंटरकनेक्शन केबल और अन्य बाधाओं का पता लगाएगा, यदि कोई हो, और अपने प्रस्ताव में इन आकस्मिकताओं के लिए उपयुक्त रूप से अनुमति देगा। इन आधारों के बाद कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- ठेकेदार को साइट पर उपयोग करने से पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित सभी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। बैंक के इंजीनियर द्वारा सुझाए गए किसी भी मामूली संशोधन/परिवर्तन को अतिरिक्त लागत के बिना प्रभावित किया जाएगा।
- काम के वर्चुअल समापन की तारीख से 3 साल के डीएलपी के लिए काम की गारंटी दी जाएगी। डीएलपी के दौरान निष्पादित कार्य में पाए गए किसी भी दोष या कमियों को ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत

के पूरा किया जाएगा। बैंक से इस तरह के नोटिस के दस दिनों के भीतर ऐसा करने में विफलता के मामले में, बैंक बिना कोई और नोटिस दिए ठेकेदार के जोखिम और लागत पर अन्य एजेंसियों के माध्यम से इस तरह के सुधार कार्य करवाएगा। बैंक को बैंक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी का उपयोग करने का अधिकार है।

- स्थापना और निर्माण के दौरान दीवारों, फर्शों आदि को किसी भी क्षति की मरम्मत ठेकेदार द्वारा मूल सतह से मेल खाने के लिए की जानी चाहिए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- विद्युत प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री और उपकरण जहां भी मौजूद हैं, भारतीय मानक विनिर्देशों की पुष्टि करेंगे। अनुमोदित सामग्रियों की एक सूची संलग्न है। सूची में शामिल नहीं की गई सामग्री के साथ-साथ सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी विशेष मेक को उपयोग करने से पहले सलाहकार या प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस विनिर्देश के तहत कवर की गई सभी आवश्यक सामग्री ठेकेदार द्वारा आपूर्ति और स्थापित की जाएगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां यह स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख किया गया है। काम पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री और सहायक उपकरण काम का हिस्सा बनेंगे, हालांकि उन्हें अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। कार्य में संचालन और रखरखाव कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी उचित सावधानियां और प्रावधान शामिल होंगे।
- **कारीगरी:** - अच्छी कारीगरी और साफ-सुथरी स्थिति इन विनिर्देशों के विभिन्न वर्गों के अनुपालन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्ष देखरेख में और लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा। जहां भी लागू हो, प्रासंगिक आईएसआई आचार संहिता का पालन किया जाएगा।

(ज) स्वीकृत मेक की सूची:-

क्रम संख्या	मद	स्वीकृत मेक
1.	सील रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) अग्निरोधी आवरण बैटरी 12 वोल्ट, 150 एएच	सीएसबी/पैनासोनिक/एक्साइड/अमारा राजा (अमरोन क्रांटा)
2.	सील रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) अग्निरोधी आवरण बैटरी 12 वोल्ट, 100 एएच	

उद्धृत मॉडल के विस्तृत तकनीकी विनिर्देश और ब्रोशर निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जाएंगे।

यदि कोई सामान, भाग, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन काम पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, निविदाकर्ता के दायरे में हैं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त विनिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर:

खंड VIII

विचलन (यदि कोई हो)

ए) वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

क्रम संख्या ।	धारा सं.	खण्ड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

बी) बैंक की तकनीकी विशिष्टता से विचलन का विवरण

तकनीकी विनिर्देश की आवश्यकताओं से विचलन के विवरण निम्नलिखित हैं: -

क्रम संख्या।	धारा सं.	खण्ड संख्या	विचलन प्रस्तावित	टिप्पणियां (औचित्य सहित)
1	2	3		4

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

खंड IX

(ठेकेदार द्वारा भरा जाना है)

तकनीकी मापदंडों का विवरण

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी डेटा

बैटरी विनिर्देश (प्रत्येक 12 वी 100 एच और 12 वी 150 एच के लिए) -

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा दिया जाने वाला विवरण
1.	मेक	
2.	प्रकार और मॉडल नं	
3.	रेटिंग	
4.	एच दक्षता	
5.	WH दक्षता	
6.	प्रति माह स्व-निर्वहन @ 27 डिग्री सेल्सियस	
7.	ऑपरेटिंग अस्थायी सीमा:	
8.	बैटरी केस राल:	
9.	27 डिग्री पर पूरी तरह से चार्ज स्थिति के लिए आंतरिक प्रतिरोध। सेंट.:	

(अलग शीट संलग्न की जाए)

- बैंक की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए मॉडल के लिए ओईएम से तकनीकी विवरणिका संलग्न करने की आवश्यकता है।
- फर्मों द्वारा बिना किसी असफलता के तकनीकी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। डेटा प्रस्तुत नहीं करने वाली फर्म की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। 'निर्माता मानक के अनुसार', 'बाद में प्रस्तुत किया जाएगा', 'औचित्य डिजाइन के अनुसार' आदि जैसे उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे बोली के मूल्यांकन में मदद नहीं मिलेगी और निविदा को अधूरा माना जाएगा

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

खंड X

मात्रा का बिना कीमत वाला बिल

बीओक्यू मद सं	विवरण	संख्या	इकाई
1	आपूर्ति, स्थापना, (प्रतिस्थापन के तहत) अग्निरधी (एफआर) मामलों के साथ वाल्व विनियमित लीड एसिड सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) को सौंपने का परीक्षण, और कमीशनिंग स्थापना के साथ न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करने वाली बैटरी, उपयुक्त टर्मिनल कनेक्टर्स के साथ नई बैटरी इंटर-कनेक्शन कॉपर लीड, बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए एसएस नट बोल्ट सभी केबल को साफ-सुथरे तरीके से तैयार किया जाएगा। दरों में परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग लागत/निर्दिष्ट स्थान पर शिफ्टिंग के लिए श्रम शुल्क, प्लेसमेंट लागत आदि और लागू अन्य कर शामिल होने चाहिए		
a)	2x120 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए 12 वी 150 एच (न्यूनतम)	124	संख्या
b)	40 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए 12 वी 100 एच (मिनट)	40	संख्या
	कुल (A)		
2	भाग-1 में विनिदष्ट अनुदेशों, मानक, निबंधन और शर्तों के अनुसार, जहां आधार पर यूपीएस के साथ स्थापित इंटरकनेक्शन केबलों के साथ-साथ पुरानी एसएमएफ यूपीएस बैटरियों को हटाने, काटने और हटाने के लिए बायबैक। (बी)		
a)	12 वी 150 एच (न्यूनतम) 2x120 केवीए यूपीएस सिस्टम क्रांटा मेक के लिए	124	संख्या
b)	12V 100 AH (न्यूनतम) 40 KVA यूपीएस सिस्टम के लिए एक्साइड मेक	40	संख्या

नोट:

- ऊपर उद्धृत राशि/दरों में लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क/शिफ्टिंग शुल्क/उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर रखने के लिए श्रम शुल्क, पारगमन लागत, वैधानिक कर आदि शामिल होने चाहिए, जैसा भी लागू हो
- स्वामित्व की कुल लागत = कार्य की लागत (A) - बायबैक (B)
- स्वामित्व की कुल लागत में सबसे कम को कार्य सौंपने के लिए सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा।
- मापने योग्य वस्तुओं के लिए वास्तविक माप के आधार पर बिल का भुगतान किया जाएगा।

स्थान:

दिनांक: मुहर के साथ हस्ताक्षर:

(सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा)

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

संख्या _____ दिनांक _____

सेवा में:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

माल रोड कानपुर – 208001

महोदय

रुपये ____ (रुपये __मात्र) की सुरक्षा जमा को स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति को ध्यान में रखते हुए मेसर _____ द्वारा (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) द्वारा आपके साथ उनके अनुबंध के संदर्भ में **(काम का नाम No.)** दिनांक _____ और अनुबंध की आपकी विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अधीन शर्तों और परिवर्तन _____ के अधीन इसके बाद निहित तरीके से हमसे गारंटी का रूप, हम ____ (बैंक का नाम) इसके द्वारा अनुबंध करते हैं और आपके साथ निम्नानुसार सहमत हैं:

1. हम आपको क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और आपको समय-समय पर रुपये ____ (रुपये __मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जो उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्तों के ठेकेदार की ओर से किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के कारण आपके द्वारा किए गए या पीड़ित हो सकते हैं या आपके द्वारा पीड़ित हो सकते हैं और ठेकेदार द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में या उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को करने में चूक या अन्यथा सही इरादे और उसके अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों के पालन और प्रदर्शन में, हम मांग पर आपको तुरंत ऐसी राशि या रकम का भुगतान करेंगे जो कुल _____ रुपये ____ (रुपये __मात्र) की उक्त राशि से अधिक नहीं है, जैसा कि आपके नुकसान और/या क्षति के रूप में आपके द्वारा दावा किया जा सकता है, ठेकेदार की ओर से इस तरह की चूक के कारण लागत, शुल्क या व्यय।
2. इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ठेकेदार ने ऐसा कोई डिफॉल्ट या चूक किया है या नहीं और जिस राशि या राशि के आप हकदार हैं, वह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपको इस गारंटी के तहत अपना दावा या दावा स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या डिमर्श के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान करेंगे।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कि उक्त अनुबंध की सापेक्ष गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन पर आपके द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त अनुबंध के तहत काम के उचित समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में _____ के दिन के बाद लागू नहीं रहेगी, आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले हमसे लिखित रूप में मांग की गई या अन्यथा सूचित की जाएगी, जो हमारे खिलाफ लागू होने के बावजूद लागू होगी, भले ही उक्त तिथि के बाद इसे लागू किया गया हो या लागू किया गया हो।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को उस समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपके द्वारा आवश्यक न हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।

5. आपको समय-समय पर इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के प्रदर्शन के समय को बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय के लिए या समय-समय पर स्थगित करने और या तो उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत हमारी देयता से पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए जाने वाले किसी भी समय या किसी अन्य सहनशीलता, आपकी ओर से कार्य या चूक या ठेकेदार को आपके द्वारा किसी भी अनुग्रह या उक्त अनुबंध या किसी अन्य कार्य के किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारण मुक्त नहीं किया जाएगा, मामला या चीजें जो भी हो, जो जमानत से संबंधित कानून के तहत होंगी, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव होगा, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी हमारे दायित्व को INR _____ की सीमा से परे बढ़ाएगा
(केवल _____ रुपये) जैसा कि पूर्वोक्त है।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रतिभूतियों को लेने या बदलने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की।
7. यहां निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जैसा कि हमारे द्वारा पूर्वगामी रूप से गारंटी दी गई है और हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से जमानत-जहाज और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों को माफ कर देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. पूर्वोक्त के रूप में हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों या दावों को कवर करेगी जो उक्त अनुबंध से उत्पन्न होती है या उसके संबंध में और जिसके संबंध में आपका दावा लिखित रूप में इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हम पर दर्ज किया जाता है।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त रूप से भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया हो।
10. यह गारंटी और यहां निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको दी गई किसी भी अन्य गारंटी या गारंटी की सीमा या प्रतिस्थापन के अलावा नहीं हैं (चाहे संयुक्त रूप से दूसरों के साथ या अकेले) और अब मौजूदा गैर रद्द कर दिया गया है और यह गारंटी का इरादा नहीं है और इस तरह की गारंटी या गारंटी को रद्द या सीमित नहीं करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या चिंता के लाभ के लिए और उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता, कार्य या चूक या बैंक द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनुग्रह दिखाने पर किसी भी तरह से जमानतदार का निर्वहन नहीं किया जाएगा और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दिए जाने की सूचना पर ही किया जाएगा।
13. यह गारंटी इसकी मुद्रा की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और लिखित रूप में आपकी पिछली सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।
14. हम आगे सहमत हैं और आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर या विवाद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
15. यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रुपये ____ (रुपये __ मात्र) तक

सीमित है। जब तक समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकारों को जब्त कर लिया जाएगा और हमें वहां की सभी देनदारियों से मुक्त और छुट्टी दे दी गई है, भले ही मूल गारंटी हमें वापस कर दी गई हो या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

(उपर्युक्त नामित बैंक के लिए और उसकी ओर से)

के लिए और की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

अनुलग्नक बी

ठेकेदार के कार्य निष्पादन के लिए ग्राहक का प्रमाण पत्र
(केवल योग्य वर्कऑर्डर के लिए)

कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

माल रोड कानपुर – 208001

महोदय,

कार्य का नाम:

ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

हम पुष्टि करते हैं कि मैसर्स (ठेकेदार का नाम और पता) _____ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं-

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
1	संक्षिप्त विवरण के साथ पात्र कार्य का नाम	
2	कार्य आदेश सं. और तारीख	
3	परियोजना/कार्य लागत	
4	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का ब्यौरा (राशि, यदि कोई हो) दर्शाइए,	
8	पूर्ण किए गए कार्य की सकल राशि और भुगतान	
9	क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?	
10	निष्पादन रिपोर्ट:	बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / निष्पक्ष / संतोषजनक / खराब
	(i) निष्पादित कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं)	
	(ii) यदि फर्म वाषक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के अंतर्गत प्रणाली का अनुरक्षण कर रही है। एएमसी के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग का संकेत दें	
11	क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था	
	a) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	b) कुल राशि प्रदान की गई	
12	मैसर्स _____ की क्षमताओं पर ग्राहक की टिप्पणियां (ग्रेडिंग इंगित करें): उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / निष्पक्ष/संतोषजनक / खराब	
	(क) तकनीकी दक्षता	
	(b) वित्तीय सुदृढ़ता	
	(c) जनशक्ति का जुटाना	
	घ) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना	

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
	e) सामान्य व्यवहार	
13	कोई भी अन्य जानकारी जिस पर आप विचार करते हैं, हमें अपना निर्णय लेने में मदद करेगी।	

ग्राहक की कार्यालय मुहर

भवदीय

(उत्तर देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*)

एसई (ई) / कार्यकारी अभियंता (ई) के लिए

नोट:

- * उत्तरदायी अधिकारी किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में अधीक्षक/कार्यपालक अभियंता के पद का होना चाहिए
- * उत्तरदाता अधिकारी निजी संगठनों के संबंध में महाप्रबंधक के रैंक का होना चाहिए
- * इटैलिक में लिखा गया मामला अंतिम निष्पादन प्रमाण पत्र पर मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए

अनुसूचित बैंक से बैंकों के प्रमाण पत्र का प्रारूप

बैंक के लेटर हेड पर

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
माल रोड, कानपुर – 208001
प्रिय महोदय,
कार्य का नाम:

बैंकर प्रमाणपत्र

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें किसी भी अनुबंध के साथ _____ रुपये (अनुमानित लागत) सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जा सकता है।

2. आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या।	व्यक्तियों	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)
2	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
3	उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	व्यवहार	
5	वह अवधि जिससे फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

भवदीय,

बैंक की मुहर

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बैंक के लिए

नोट:

1. बैंकों के प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होने चाहिए, जो भर्ती प्राधिकारी को संबोधित कवर में सीलबंद होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के

करार (सफल निविदाकार से)

करार की शर्तें (सफल बोलीदाता के लिए)

(रु.100/- स्टाम्प पेपर पर)

यह समझौता अनुबंध भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) और _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) के मध्य दिनांक _____ को निष्पादित किया गया।

जहां बैंक वांछित है, (_____) और किए गए कार्य का विशिष्ट वर्णन करें।

और उक्त विशिष्टताओं के अनुसार, मात्रा और रेखाचित्रों की अनुसूची पर या पार्टियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और ठेकेदार ने इसके आगे उल्लिखित शर्तों तथा परिणाम की अनुसूची तथा ठेके की शर्तें (जिन्हे) इसके आगे समग्र रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन उक्त आरेखनों में दर्शाये गए और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित तथा परिणाम की अनुसूची में सम्मिलित निर्माण कार्य को उनमे निर्दिष्ट दरों के अनुसार हिसाब लगाई गयी कुल राशि पर या ऐसी अन्य राशि पर , जो उनके अधीन देय हो (जिसे इसके आगे "उक्त ठेके की राशि" कहा गया है) निष्पादित करना स्वीकार किया है।

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है:

- 1 उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में और प्रणाली से देय ठेके की राशि के बदले ठेकेदार उक्त शर्तों पर तथा उनके अधीन और उक्त आरेखनों में दर्शित तथा उक्त विनिर्देशों एवं परिमाणों की अनुसूची में उल्लिखित निर्माण कार्य निष्पादित करेगा और पूरा करेगा
- 2 बैंक ठेकेदार को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में तथा उनमे निर्दिष्ट प्रणाली से उक्त ठेके की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि, जो देय हो जाए, अदा करेगा।
- 3 उक्त शर्तों को और उनके परिशिष्ट को इस करार के भाग के साथ पढ़ा जाएगा तथा इस करार से संबन्धित पक्ष उक्त शर्तों का क्रपशः पालन करेंगे, अपने-आपको उनके

अधीन मानेंगे तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन अपनी और से करार का निष्पादन करेंगे।

- 4 इसमें उल्लिखित नक्शे, करार और प्रलेख इस संविदा के आधार माने जायेंगे।
- 5 यह संविदा न तो निर्धारित एकमुश्त राशि की संविदा है और न ही फूटकर कार्य की संविदा, परंतु यह सम्पूर्ण " _____ " के संबंध में कार्य को पूरा करने की संविदा है जिसके लिए दरों की अनुसूची तथा संभाव्य परिमाणों में उल्लिखित दरों पर या उक्त शर्तों में निर्दिष्ट दरों पर वस्तुतः हिसाब लगायी गयी मात्राओं के अनुसार अदायगी की जाएगी। कार्य आदेश संख्या _____ इस समझौते का हिस्सा होगा।
- 6 अनुबंध में दिये अनुसार ठेकेदार को सिविल संबंधी सभी कार्यों हेतु वाजिब सुविधा वहन करनी होगी एवं ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये नुकसान को ठीक करना होगा।
- 7 बैंक इस अनुबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के किए जानेवाले कार्य में किसी भी मद को जोड़ने या हटाने एवं ड्रॉइंग और कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार रखता है।
- 8 समय को इस अनुबंध के महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाएगा, और ठेकेदार साइट को सौंपने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के बाद जो भी बाद में हो दी गई शर्तों एवं समय विस्तार के प्रावधानों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा तथापि समय विस्तार के प्रावधान ऐसे लिखित तरीके (अर्थात् विलेख या करार या पत्रों/ ई-मेल के आदान-प्रदान) के अधीन होंगे जिन पर दोनों पक्षों परस्पर सहमत हों।
- 9 इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।
- 10 इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और इनका निपटान केवल कानपुर में न्यायालयों के ही अधिकार क्षेत्र में होगा।

- 11 इस संविदा के विभिन्न अंशों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है तथा उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया है।
- 12 **गैर-प्रकटीकरण खंड** : ठेकेदार बैंक, के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान के पास आ सकता है, और हर समय इस पर विश्वास रखेगा। ठेकेदार सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा अनुबंध के विवरण को वैयक्त और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण का खुलासा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या इस समझौते के टर्मिनेशन के बाद भी बने रहेंगे।
- 13 **यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी उपबंध**
- ठेकेदार/एजेंसी कार्य स्थल) रोकथाम, निषेध और निवारण (अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी गंभीर कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ठेकेदार अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

14.

अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना के घटित होने के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियाँ, दंगे, श्रमिक हड़ताल, सरकारी कार्य, भूकंप, चक्रवात, आंधी, और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, आदि), उस पक्ष को इस अनुबंध के अंतर्गत चूककर्ता नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष जारी रखने के लिए इस समझौते के तहत प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-प्रदर्शन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी की प्रदर्शन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकती है।

यदि ठेकेदार एक भागीदारी या एक व्यक्ति है

इसके साक्ष्य में बैंक तथा ठेकेदार ने इन दस्तावेजों तथा मूल प्रति पर इसके ऊपर उल्लेखित दिन और वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।

यदि ठेकेदार एक कंपनी है

इसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत किये हैं और ठेकेदार ने इन पर तथा उक्त दोनों प्रतिलिपियों पर अपनी नियमित मोहर लगवाई है/इसके पहले उक्त दिनांक और वर्ष को अपनी ओर से इन दस्तावेजों तथा उक्त दो प्रतिलिपियों का निष्पादन करवाया है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

श्री

(नाम और पदनाम)

.....

..... की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

.....

.....

.....

गवाहों

.....
हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

द्वारा यदि भाग एक साझेदारी फर्म है या किसी भी व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(1)

पता

.....

2)

पता

.....

गवाहों

की सामान्य मुहर

पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यहां चिपकाया गया था

इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को एसोसिएशन के लेखों में उनके सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

.....

.....

.....

की उपस्थिति में

(1)

.....

(2) ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

.....

जिन निदेशकों ने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी उपस्थिति में ले लिए गए

ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति।

(1)

(2)

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

श्री

और विधिवत गठित वकील।

हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

आवेदन/प्रस्ताव

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यहाँ उपस्थित सभी को जानते हुए, हम.....(बोली लगाने वाले का नाम और अपने पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री /

..... (नाम और

पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और के पद पर है। हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और हमारे निविदा (कार्य का नाम) के संबंध में या उसके आकस्मिक रूप से आवश्यक सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने के लिए, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और जमा करना और आरबीआई कानपुर के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले संपत्ति विभाग आरबीआई, कानपुर को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है, और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई कानपुर के साथ काम करना।

हम इसके द्वारा हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कार्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं

इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

नोट

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए

प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)

नाम/से

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किए जाने वाले वचन:

(निविदाकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

काम का नाम:

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि –

मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

- a) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।
- b) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म * भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने से पहले या उससे पहले प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है।
- c) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

2. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्म का नाम) द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया गया है। (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और(तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

*संबद्ध फर्म: एक फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

भारत के साथ देश की सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

.....
भारतीय रिज़र्व बैंक

.....
काम का नाम: _____

1. मैं/हम (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या ii. (iii) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न है, या (iv) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान की है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।
3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है, मैं / हम (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-अनुबंध नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार करने/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना धन जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर की मुहर के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:
स्थान:

ओईएम से प्राधिकार पत्र और अनुरक्षण उपक्रम के लिए प्रोफार्मा

(बैटरी के निर्माताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर अलग से जारी किया जाना है और बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा)

प्रति,

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
माल रोड, कानपुर – 208001

महोदय,

कार्य का नाम: कार्यालय परिसर, कानपुर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरोधी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लीड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा।

हम _____, (निर्माता का नाम और पता) _____ पर कारखानों वाले _____ के निर्माता (विनिर्माण/विकास स्थानों के पते) मैसर्स _____ (निविदाकर्ता का नाम और पता) को हमारे द्वारा विकसित उपरोक्त उपकरणों के लिए उपर्युक्त निविदा के खिलाफ आपके साथ बोली लगाने, बातचीत करने और अनुबंध समाप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैसर्स _____ (निविदाकर्ता) के हमारे अधिकृत डीलर के शेष नहीं रहने की संभावना की स्थिति में, हम, मूल उपकरण निर्माता, हमारे द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे और कैप्शन परियोजना के दायरे में प्रदान किए जाएंगे, या तो सीधे या उपरोक्त प्रणाली के रखरखाव के लिए बैंक द्वारा शामिल किसी भी डीलर के माध्यम से, कलपुर्जो/अद्यतन/तकनीकी जनशक्ति आदि प्रदान करने के संदर्भ में, यानी आपकी संतुष्टि के लिए सेवा, कैप्शन दिए गए कार्य के आभासी समापन या बैटरी बैंक सौंपने की तारीख से कम से कम 3 साल तक।

भवदीय
के लिए और की ओर से

मैसर्स _____ (विनिर्माता का नाम)

सील और हस्ताक्षर:

नाम:

उपाधि:

पता:

नोट: पत्र की सामग्री में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस पत्र की सामग्री में कोई जोड़ या विलोपन या संशोधन देखा जाता है, तो निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

ठेका श्रम नियमों/विनियमों का अनुपालन न करने के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रोफार्मा।

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
माल रोड, कानपुर – 208001

महोदय,

कार्य का नाम: कार्यालय परिसर, कानपुर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरोधी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लीड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा।

हम, मैसर्स (ठेकेदार का नाम) एतद्वारा वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के नियोजन और उनके भुगतान के संबंध में सभी सांविधिक नियमों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। हम अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के हमारे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुबंध श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान के खिलाफ नियोक्ता, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं और क्षतिपूर्ति करते हैं। तुम्हारा ईमानदारी से,

भवदीय,

के लिए और की ओर से
मैसर्स _____ (विनिर्माता का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक:

स्थान:

स्थानीय सामग्री के लिए घोषणा

(10 करोड़ रुपये से कम के निविदा मूल्य के लिए कंपनी लेटर हेड पर और सांविधिक लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक/लागत लेखाकार/सीए द्वारा 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की निविदा के लिए दिया जाना है)

दिनांक: _____

जिस किसी के लिए यह संबन्धित हो

विषय: स्थानीय सामग्री की घोषणा

निविदा संदर्भ संख्या: _____

निविदा का नाम/कार्य: _____

1. पेश किए जा रहे माल के मूल देश: _____

2. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि पेश की गई वस्तुओं में ____% स्थानीय सामग्री है जो हमें _____ (कक्षा I स्थानीय/द्वितीय स्थानीय/गैर-स्थानीय) आपूर्तिकर्ता के रूप में योग्य बनाती है:

3. उस स्थान का विवरण जिस पर स्थानीय मूल्यवर्धन किया जाएगा/किया जाएगा (पूरा पता उल्लेख किया जाना है):

"स्थानीय सामग्री" का अर्थ है भारत में मूल्य वर्धित की मात्रा जो कुल मूल्य के अनुपात के रूप में आइटम में आयातित सामग्री के मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) को प्रतिशत में घटाकर पेश की जा रही वस्तु का कुल मूल्य होगा।

"झूठी घोषणा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175 (1) (i) (h) के तहत अखंडता की संहिता का उल्लंघन होगी, जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151 (iii) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

भवदीय,

{आधिकारिक मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर}



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर

ई-निविदा
के लिए

कार्यालय परिसर, कानपुर में 120 केवीए और 40 केवीए यूपीएस के लिए अग्निरधी (एफआर) सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) वाल्व विनियमित लीड-एसिड (वीआरएलए) बैटरी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

भाग II (मूल्य बोली)

Tenderer _____ का नाम

पता _____

निविदा जमा करने की नियत तिथि: _____ से _____

निविदा के भाग I के खुलने की नियत तिथि: _____ से _____

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर

बीओक्यू मद संख्या	विवरण	संख्या	इकाई	दर (₹)	राशि (₹)
1	आपूर्ति, स्थापना, (प्रतिस्थापन के तहत) अग्निरोधी (एफआर) मामलों के साथ वाल्व विनियमित लीड एसिड सीलबंद रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) को सौंपने की कमीशनिंग स्थापना के साथ न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करने वाली बैटरी, टर्मिनल कनेक्टर्स के साथ नई बैटरी इंटर-कनेक्शन कॉपर लीड, बैटरी को इंटरकनेक्ट करने के लिए एसएस नट बोल्ट सभी केबल को साफ-सुथरे तरीके से तैयार किया जाएगा। दरों में परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग लागत/निर्दिष्ट स्थान पर शिपिंग के लिए श्रम शुल्क, प्लेसमेंट लागत आदि और अन्य कर, जो लागू हों, शामिल होने चाहिए।				
a)	2x120 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए 12 वी 150 एएच (न्यूनतम)	124	संख्या	एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत किया जाना है	
b)	40 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए 12 वी 100 एएच (मिनट)	40	संख्या	एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत किया जाना है	
	कुल (A)				
2	भाग-1 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों, मानक, निबंधन और शर्तों के अनुसार, जहां भी आधार पर यूपीएस के साथ स्थापित इंटरकनेक्शन केबलों के साथ-साथ पुरानी एसएमएफ यूपीएस बैटरी को हटाने, काटने और हटाने के लिए बायबैक। (बी)				
a)	12 वी 150 एएच (न्यूनतम) 2x120 केवीए यूपीएस सिस्टम क्रांटा मेक के लिए	124	संख्या	एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत किया जाना है	
b)	12V 100 AH (न्यूनतम) 40 KVA यूपीएस सिस्टम के लिए एक्साइड मेक	40	संख्या	एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत किया जाना है	
	कुल बायबैक (B)				
	स्वामित्व की कुल लागत (ए-बी)				

नोट:

- ऊपर उद्धृत राशि/दरों में लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार/बैंक/श्रम प्रभार, पारगमन लागत, सांविधिक कर etc.as लागू में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरण प्रभार शामिल होने चाहिए
- स्वामित्व की कुल लागत = काम की लागत - बायबैक
- स्वामित्व की कुल लागत में सबसे कम को कार्य सौंपने के लिए सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा।
- मापने योग्य वस्तुओं के लिए वास्तविक माप के आधार पर बिल का भुगतान किया जाएगा।

स्थान

दिनांक

मुहर के साथ हस्ताक्षर

एनबी - मूल्य केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में उद्धृत किया जाना चाहिए।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और साइट की स्थितियों से परिचित हों।

निविदा का मूल्यांकन निविदा भाग-1 पैरा 3.22 के अनुसार स्वामित्व की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा